रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1971/फाल्गुन 1, 1892
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1971/PHALGUNA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 12 दिसम्बर 1970 तक प्रकाशित किये गये

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto 8th January, 1971:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
205	G. S. R. 2008, dated 10th December, 1970.	Department of communications.	Further amendment in the Indian Telegraph Rules, 1951.
	सा० का० नि० 2008, दिनांक 10 दिसम्बर 1970	संचार विभाग	भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन।
206	G.S.R. 2009, dated 11th December, 1970.	Ministry of Finance	Fixation of tariff value for refrigerators, water coolers and air-conditioners falling under sub-items (1) and (2) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	सा० का० नि० 2009, दिनांक 11 दिसम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29 की उपमद (1) और (2) के अन्तर्गत आने वाले प्रशीतकों, जल शोतकों और वातानुकलकों के लिए टैरिफ मूल्य का विनिर्दिष्टी करण ।
207	G.S.R. 2010, dated 15th December, 1970.	Ministry of Home Affairs.	Further amendment in the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959.
	सा० का० नि० 2010, दिनांक 15 दिसम्बर 1970	गृह मंत्रालय	उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में और आगे संशोधन ।
208	G.S.R. 2011, dated 15th December, 1970.	Ministry of Finance	Amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 131/70-Central Excises, dated the 2nd June 1970.
	सा० का० नि० 2011, दिनांक 15 दिसम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 131/70- केन्द्रीय उत्पादशुल्क तारीख 2 जून 1970 में संशोधन ।
209	G.S.R. 2043, dated 17th December, 1970	Ditto.	Exemption to petroleum products falling under Item Nos. 6 to 11-A, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
	सा० का० नि० 2043, दिनांक 17 दिसम्बर 1970	तदैव	ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों को छूट जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 से 11-क तक के अन्तर्गत आते हैं ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	G.S.R. 2044, dated 17th December, 1970.	Ditto	Rescission of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 101/64-Central Excises, dated the 18th April 1964.
	सा० का० नि० 2044, दिनांक 17 दिसम्बर 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 101/64–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 18 अप्रेल 1964 का विखंडन ।
	G.S.R. 2045, dated 17th December, 1970	Ditto.	Amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 217/67-Central Excises, dated the 23rd September, 1967.
	सा० का० नि० 2045, दिनांक 17 दिसम्बर 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 217/67–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 सितम्बर 1967 में संशोधन ।
210	G. S. R. 2046, dated 17th December, 1970	Ditto.	Further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966.
	सा० का० नि० 2046, दिनांक 17 दिसम्बर 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 199/66–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 दिसम्बर, 1966 में और आगे संशोधन ।

Issue	No. and Date	Issued by	Subject
211	G. S. R. 2047, dated 18th December, 1970.	Ditto.	Further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No.232/67-Central Excises, dated 9th October, 1967.
	सा० का० नि० 2047, दिनांक 18 दिसम्बर, 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 232/67—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 अक्टूबर, 1967 में और आगे संशोधन ।
	G. S. R. 2048, dated 18th December, 1970.	Ditto.	Further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 14/67-Central Excises, dated the 21st January, 1967.
	सा० का० नि० 2048, दिनांक 18 दिसम्बर 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 14/67—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 21 जनवरी 1967 में और आगे संशोधन ।
212	G. S. R. 2049, dated 19th December, 1970.	Ministry of Home Affairs.	Further amendment in the Police Forces (Restriction of Rights) Rules, 1966.
	सा० का० नि० 2049, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970	गृह मंत्रालय	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 में और आगे संशोधन ।
213	G. S. R. 2050, dated 22nd December, 1970.	Cabinet Secretariat	Constituting a Joint Cadre of the Indian Administrative Service for all the Union Territories, and the area of the North East Frontier Agency.
	सा० का० नि० 2050, दिनांक 22 दिसम्बर, 1970	मंत्रिमंडल सचिवालय	सभी संघ शासित क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के इलाके के लिए भारतीय प्रशासन सेवा के संयुक्त संवर्ग का गठन ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
214	G. S. R. 2069, dated 26th December, 1970	Ministry of Finance.	Exemption to rapeseeds falling under item 12(2) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 from the duty of customs so much leviable thereon.
	सा० का० नि० 2069, दिनांक 26 दिसम्बर 1970	वित्त मंत्रालय	रेपसीडस (Rapeseeds) जो कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12(2) के अन्तर्गत आता है उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क का विनिर्दिष्ट छूट
215	G. S. R. 2070, dated 31st December, 1970.	Ditto.	Amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 22-Customs dated the 1st March, 1970.
	सा० का० नि० 2070, दिनांक 31 दिसम्बर 1970	तदैव	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 22-सीमा-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1970 में संशोधन ।
216	G. S. R. 2071/E$S. Com./ Sugarcane, dated 31st December, 1970.	Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	Fixation of minimum price payable by the owner of the Walwa Taluka Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Islampur for Sugarcane and further amendment in the Notification of the Government of India. Min. of F., Agri, Com. Dev. & Co-operation (Dept. of Food) No. G.S.R. 2361/ESS. Com./Sugarcane, dt. the 30th September, 1969.
	सा० का० नि० 2071/आवश्यक वस्तु/ईख, दिनांक 31 दिसम्बर, 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ।	वल्वा तालुका सहकारी शक्कर कारखाने लिमिटेड, इस्लामपुर, की शक्कर के लिए न्यूनतम कीमत नियत और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 2361/आवश्यक सामग्री/ईख, तारीख 30 दिसम्बर 1969 में और आगे संशोधन ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	G. S. R. 40/ESS. Com/Sugar, dated 1st January, 1971.	Ministry of Food, Agri. Con. Dev. & Co-operation.	Further amendment in the Sugar (Price Determination) Order, 1970.
	सा० का० नि० 40/आवश्यक वस्तु/शर्करा, दिनांक 1 जनवरी 1971	खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय।	शर्करा कीमत अवधारण आदेश 1970 में और आगे संशोधन।
2	G. S. R. 41, dated 1st January, 1971.	Ministry of Finance	Exemption to articles specified in the Table falling under Item or Items of the First Schedule to the Indian Tari Act, 1934 (32 of 1934) fr o duty of customs so much leviable thereon.
	सा० का० नि० 41, दिनांक 1 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं जो की भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) के अन्तर्गत है उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क का विनिर्दिष्ट छूट।
3	G. S. R. 42, dated 1st January, 1971.	Ditto.	Determination of rates of exchange for conversion of foreign currency into Indian currency or vice versa.
	सा० का० नि० 42, दिनांक 1 जनवरी 1971	तदैव	विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें।
4	G. S. R. 43, dated 6th January, 1971.	Ministry of Home Affairs.	25th day of January 1971 as the appointed day for the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970).
	सा० का० नि० 43, दिनांक 6 जनवरी 1971	गृह मंत्रालय	जनवरी 1971 के 25 वें दिन को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) नियत दिन के रूप में नियतीकरण।

Issued No.	No. and Date	Issued by	Subject
5	G. S. R. 66/ESS. Com./Sugar, dated 8th January, 1971.	Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	The Sugar (Price Determination Order, 1971.
	सा० का० नि० 66/आवश्यक वस्तु/शर्करा, दिनांक 8 जनवरी 1971	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1971

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th February 1971

G.S.R. 226.—The following draft of certain rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1939, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939) is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Central Government on or after the 31st March, 1971.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Registration of Foreigners Rules, 1939, in rule 6,—

(i) in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) in the case of a person who has become a foreigner by reason of his having ceased to be a citizen of India while resident in India, to the Registration Officer having jurisdiction in the place where the said person is ordinarily resident.";

(ii) in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) in the case of a foreigner referred to in clause (d) of sub-rule (1), within fifteen days of his ceasing to be a citizen of India."

(iii) after sub-rule (2), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of sub-rule (1) and sub-rule (2), the date on which the person concerned shall be deemed to have ceased to be a citizen of India, shall be—

(a) where he has voluntarily acquired the citizenship of another country by naturalisation or registration, the date of such naturalisation or registration;

(b) where he has obtained a passport from the Government of any other country, the date on which such passport was obtained:

Provided that in the case of a person in respect of whom an order has been made under sub-section (2) of section 9 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) holding that he had acquired the citizenship of a foreign country, such date shall be the date of the order aforesaid."

[No. 11012/5/70-F.I.]

J. C. AGARWAL, Jt. Secy.

ORDERS

New Delhi, the 4th February 1971

G.S.R. 227.—In pursuance of clause (22) of article 366 of the Constitution of India, the President is hereby pleased to recognise His Highness Nawab Sidi Mohammad Suroor Khan as the Ruler of Sachin with effect from 31st May, 1970 in succession to late His Highness Nawab Sidi Muhammad Haider Muhammad Yakut Khan.

[No. F. 16/10/70-Poll. III]

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 227.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (22) के अनुसार राष्ट्रपति जी इस आदेश के द्वारा महामहिम नवाब सिदि मोहम्मद सरूर खां को 31 मई 1970 से स्वर्गीय महामहिम नवाब सिदि मोहम्मद हैदर मोहम्मद याकूत खां के स्थान पर सचिन के शासक के रूप में सहर्ष मान्यता प्रदान करते हैं ।

[संख्या एफ० 16/10/70-पोलिटिकल 3]

G.S.R. 228.—In pursuance of clause (22) of article 366 of the Constitution of India, the President is hereby pleased to recgnise Rana Davesh Singh as the Ruler of Koti with effect from 8th July, 1970 in succession to late Rana Basisth Singh Chand.

[No. F. 13/5/70-Poll. III]

GOVIND NARAIN, Secy.

जी० एस० आर० 228.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (22) के अनुसार राष्ट्रपति जी इस आदेश के द्वारा राणा देवेश सिंह को 8 जुलाई, 1970 से स्वर्गीय राणा वशिष्ट सिंह चन्द के स्थान पर कोटी के शासक के रूप में सहर्ष मान्यता प्रदान करते हैं :

[संख्या एफ० 13/5/70-पोलिटीकल-3]

गोबिन्द नारायण, सांचव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 1st February 1971

G.S.R. 229.—The following draft of certain Regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is published as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into considerations on or after the 30th April, 1971.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industrial Development and Internal Trade, (Department of Industrial Development), Udoyg Bhavan, New Delhi.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1971.

2. In regulation 350 of the Indian Boiler Regulations, 1950, in Table 3, the words "hydraulic lap welded" shall be omitted.

[No. BL-9(34)/67-TAB.]

S. C. DEY, Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 2nd February 1971

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Tariff Rules, 1960, namely:—

1. (i) These rules may be called the Railways Red Tariff (12th Amendment) Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the First day of April, 1970.

2. In the Railways Red Tariff Rules, 1960:—

In Table I occurring at the end of Chapter I in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" occurring against the entries 'Unifrax' and 'Sundarite,' the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) for the figures and letter "155-B" wherever they occur, the figures '150' shall be substituted;

(iii) for the figures and letter "120-B" against the entry 'Christmas or Bon Bon Crackers,' the figures "120" shall be substituted;

(iv) in the entry relating to 'Di-Nitro-Phenol, Commercially Pure,' for the figures and letter "125-B" the figures "120" shall be substituted;

3. In "the said Rules," in Table II occurring at the end of Chapter II, in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" wherever they occur, the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) in the entry relating to 'Ammonia (Anhydrous),' for the figures and letters "130-C" and "110-B," the figures "130" and "110" shall respectively be substituted;

(iii) in the entry relating to 'Oxygen,' for the figures and letters "130-C" and "105-B," the figures "130" and "105" shall respectively be substituted;

(iv) in the entry relating to 'Liquefied Petroleum Gas (commercial Butane or Propane)', for the figures and letters "110-C" and "97.5-B," the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(v) in the entry relating to 'Chlorine' for the figures and letters "120-C" and "100-B", the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vi) in the entry relating to 'Carbon Dioxide (Carbonic Acid Gas)' for the figures and letters "100-C" and "85-B," the figures "105" and "85" shall respectively be substituted;

(4) In Table III occurring at the end of Chapter III, in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" wherever they occur the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) for the figures and letters "140-C" and "115-B" wherever they occur the figures "130" and "115" shall respectively be substituted;

(iii) for the figures and letters "130-C" and "110-B" wherever they occur the figures "130" and "110" shall respectively be substituted;

(iv) for the figures and letters "130-C" and "105-B" wherever they occur the figures "130" and "105" shall respectively be substituted;

(v) in the entries relating to 'Spirit, potable, imported' and 'Spirits, potable, indigenous' for the figures and letters "120-C" and "100-B" the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vi) for the figures and letters "110-C" and "92.5-B" wherever they occur the figures "115" and "95" shall respectively be substituted;

(vii) for the figures and letters "100-C" and "85-B" wherever they occur the figures "105" and "85" shall respectively be substituted;

(viii) for the figures and letters "90-C" and "75-B" wherever they occur the figures "95" and "75" shall respectively be substituted;

(ix) for the figures and letters "75-C" and "65-B" wherever they occur the figures "80" and "65" shall respectively be substituted;

(x) for the figures and letters "75-C" and "62.5-B" against the entries relating to "Petroleum and other Hydro-carbon Oils; N.O.C." and Pentachlorophenol 'dissolved in selected petroleum Oils,' the figures "80" and "62.5" shall respectively be substituted;

(xi) for the figures and letters "67.5-C" and "57.5-B" wherever they occur the figures "75" and "57.5" shall respectively be substituted;

(xii) in the entry relating to 'Insecticides (fluid), inflammable,' for the figures and letters "75-C" and "57.5-B" the figures "75" and "57.5" shall respectively be substituted;

(5) In Table IV occurring at the end of Chapter IV, in Column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" wherever they occur the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) for the figures and letter "155-B" against the entry 'Nitro Cotton containing not more than 12.3 per cent nitrogen and wetted with not less than 1/3 of its weight of Methylated spirit or Butenol (Butyl Alcohol)', the figures "150" shall be substituted;

(iii) for the figures and letters "140-C" and "115-B" wherever they occur the figures "130" and "115" shall respectively be substituted;

(iv) in the entry relating to 'Calcium Phosphide' for the figures and letters "130-C" and "110-B", the figures "130" and "110" shall respectively be substituted;

(v) for the figures and letters "120-C" and "100-B" against the entry relating to 'Cold Starters', the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vi) in the entry relating to 'Metal Fuel (Solid aldehydic fuel in solid form)', for the figures and letters "100-C" and "97.5-B", the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vii) for the figures and letters "110-C" and "92.5-B," wherever they occur the figures "115" and "95" shall respectively be substituted;

(viii) for the figures and letters "100-C" and "85-B" wherever they occur the figures "105" and "85" shall respectively be substituted;

(ix) in the entry relating to 'Resin,' for the figures and letters "75-C" and "65-B," the figures "80" and "65" shall respectively be substituted;

(x) in the entry relating to 'Spent Oxide of Iron from gas purifiers' for the figures and letters "67.5-C" and "52.5-B", the figures "75" and "52.5" shall respectively be substituted;

(xi) in the entry relating to 'Bleaching Powder (Chloride of Lime)', for the figures and letters "5-C" and "40-A", the figures "60" and "40" shall respectively be substituted;

(xii) in the entry relating to 'Coal Dust consisting of fine particles of less than 100 microns i.e. 1/10 millimetre, for the figures and letters "45-C" (OR), the figures and letters "50" (OR) shall be substituted;

(6) In Table V, occurring at the end of Chapter V, in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B," wherever they occur the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) for the figures and letters "110-C" and "97.5-B" against the entry relating to 'Nitrate of Strontium,' the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(iii) in the entry relating to 'Saltpetre refined (Nitre or Nitrate of Potash)', for the figures and letters "75-C" and "65-B," the figures "80" and "65" shall respectively be substituted;

(iv) in the entries relating to 'Nitrate of Ammonia' and 'Nitrate of Soda' for the figures and letters "50-C" and "35-A", the figures "60" and "37.5" shall respectively be substituted;

(v) in the entry relating to 'Weed Killer (Powder) non-arsenical containing Chlorate with not less than 40 per cent or Chlorides or borax,' for the figures and letters "82.5-C" and "67.5-B," the figures "85" and "67.5" shall respectively be substituted;

(vi) in the entry relating to 'Saltpetre, Crude,' for the figures and letters "50-C" and "35-A", the figures "55" and "35" shall respectively be substituted;

(7) In Table VI occurring at the end of Chapter VI, in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" wherever they occur the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) for the figures and letters "140-C" and "115-B" wherever they occur the figures "130" and "115" shall respectively be substituted;

(iii) for the figures and letters "130-C" and "110-B" wherever they occur the figures "130" and "110" shall respectively be substituted;

(iv) in the entry relating to "Charges and Refills for Chemical Fire-Extinguishers,' for the figures and letters "130-C" and "105-B", the figures "130" and "105" shall respectively be substituted;

(v) for the figures and letters "120-C" and "100-B" wherever they occur the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vi) in the entry relating to 'Calcium Bi-sulphite Solution (Bi-sulphite of lime solution) saturated with Sulphur dioxide gas,' for the figures and letters "100-C" and "85-B," the figures "105" and "85" shall respectively be substituted;

(vii) for the figures and letters "67.5-C" and "57.5-B" wherever the occur the figures "75" and "57.5" shall respectively be substituted;

(viii) in the entry relating to 'Sodium Xanthate,' for the figures and letters "82.5-C" and "67.5-B," the figures "85" and "67.5" shall respectively be substituted;

(ix) in the entry relating to 'Paint and Varnish Removers (Corrosive, non-inflammable)', for the figures and letters "75-C" and "65-B," the figures "80" and "65" shall respectively be substituted;

(x) for the figures and letters "75-C" and "62.5-B" wherever they occur the figures "80" and "62.5" shall respectively be substituted;

(xi) in the entry relating to 'Caustic Soda Liquor' for the figures and letters "55-C" and "37.5-A", the figures "60" and "40" shall respectively be substituted;

(8) In Table VII occurring at the end of Chapter VII, in column 2, under the heading "General Classification,"—

(i) for the figures and letters "160-C" and "130-B" wherever they occur the figures "150" and "130" shall respectively be substituted;

(ii) in the entry relating to 'Dinitro Toluene' for the figures and letter "155-B", the figures "150" shall be substituted;

(iii) for the figures and letters "140-C" and "115-B" wherever they occur the figures "130" and "115" shall respectively be substituted;

(iv) for the figures and letters "130-C" and "110-B" wherever they occur the figures "130" and "110" shall respectively be substituted;

(v) for the figures and letters "120-C" and "100-B" wherever they occur the figures "120" and "100" shall respectively be substituted;

(vi) for the figures and letters "130-C" and "105-B" wherever they occur the figures "130" and "105" shall respectively be substituted;

(vii) in the entry relating to 'Barium Carbonate' for the figures and letters "100-C" and "85-B", the figures "105" and "85" shall respectively be substituted;

(viii) in the entry relating to "Weed Killer (Powder) non-arsenical and not containing Chlorate or Dinitro-ortho-cresol or its Salts', for the figures and letters "82.5-C" and "67.5-B" the figures "85" and "67.5" shall respectively be substituted;

(ix) in the entries relating to 'Barium Chloride' and 'Barium Hydrate (Barium Hydroxide)', for the figures and letters "75-C" and "62.5-B," the figures "80" and "62.5" shall respectively be substituted;

(x) for the figures and letters "67.5-C" and "57.5-B" wherever they occur the figures "75" and "57.5" shall respectively be substituted;

Explanatory Note:

The changes contained in the above Notification for amending the Railways Red Tariff Rules, 1960 w.e.f. 1st April, 1970 have already come into force from the Ist April, 1970. Consignors or Consignees would therefore, not be adversely affected due to this notification amending the said rules being given retrospective effect.

[No. 70-TG-IV/21/1.]

C. S. PARAMESWARAN,
Secy., Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 230.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेलवे लाल दर—सूची नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (i) ये नियम रेलवे लाल दर—सूची (12 वां संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे

(ii) ये पहली अप्रैल, 1970 से लागू होंगे ।

2. रेलवे लाल दर—सूची नियम, 1960 में:—अध्याय 1 के अन्त में आने वाली तालिका 1 के कालम 2 में, "सामान्य वर्गीकरण" शीर्षक के अन्तर्गत,

(i) 'यूनिफ़ैक्स' और 'सन्डराइट' प्रविष्टियों के सामने आने वाले "160-सी" और "130-बी" अंकों और अक्षरों के स्थान पर क्रमशः "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(ii) जहां कहीं "155 बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह "150" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(iii) 'क्रिसमस या वान बान क्रैकर्स' प्रविष्टि के सामने "120-बी" अंकों और अक्षर के स्थान पर "120" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) 'डाइ—नाइट्रो—फेनाल, वाणिज्यिक दृष्टि से शुद्ध' से संबंधित प्रविष्टि में "125-बी" अंकों और अक्षर के स्थान पर "120" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. "कथित नियमों" में अध्याय 11 के अन्त में आने वाली तालिका 11 के कालम 2 में" सामान्य वर्गीकरण के अन्तर्गत :—

(i) जहां कहीं "160 सी" और "130-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमशः "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) 'अमोनियां (एनहाइड्रस)' से सम्बन्धित प्रविष्टि में "130-सी" और "110-बी" अंक और अक्षर की जगह क्रमशः "130" और "110" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iii) 'आक्सीजन' से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "130-सी" और "105-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "130" और "105" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iv) "द्रवित पैट्रोलियम गैस (वाणिज्यक बुटेन या प्रोपेन)" से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "110-सी" और "97.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) "क्लोरीन" से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "120-सी" और "100-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) "कार्बन डाइआक्साइड (कार्बोनिक एसिड गैस)" से संबंधित प्रविष्टि में, "100-सी" और "85-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "105" और "85" अंक अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. अध्याय iii के अन्त में आने वाली सारणी के कालम 2 में "सामान्य वर्गीकरण" शीर्षक के अन्तर्गत :—

(i) जहां कहीं "160-सी और "130-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) जहां कहीं "140-सी" और "115-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमशः "130" और "115" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(iii) जहां कहीं "130-सी" और "110-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "130" और "110" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) जहां कहीं "130-सी" और "105-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह "130" और "105" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) "स्पिरिट पेय, आयातित" और "स्पिरिट, पेय, स्वदेशी" से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, "120 सी" और "100-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) जहां कहीं "110 सी" और "92.5-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "115" और "95" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vii) जहां कहीं "100 सी" और "85-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "105" और "85" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(viii) जहां कहीं "90-सी" और "75-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "95" और "75" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ix) जहां कहीं "75 सी" और "65-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "80" और "65" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे

(x) "पेट्रोलियम और अन्य हाइड्रो—कार्बन तेल, अन्यथा अवर्गित" और 'चुने हुए पेट्रोलियम तेलों में घुला पेन्टाक्लोरोफिनाल' से सम्बन्धित प्रविष्टियों के सामने, "75-सी" और "62-5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश "80" और "62.15" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे

(xi) जहां कहीं "67.5-सी" और "57.5-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "75" और "57.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(xii) 'कीटनाशक (तरल), ज्वलनशील' से संबंधित प्रविष्टि में "75-सी" और "57.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "75" और 57.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

5. अध्याय ix के अन्त में आने वाली तालिका iv के कालम 2 में, "सामान्य के अन्तर्गत :—

(i) जहां कहीं "160-सी" और "130-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) "नाइट्रो काटन जिसमें 12.3 प्रतिशत से अधिक्तक नाइट्रोजन न हो और जो अपने 1/3 भार से अन्यून मिथिलेटेड स्पिरिट या बटानाल (बटानाल अ कोहल) से भिगोया हो" प्रविष्टि के सामने "155-बी" अंकों और अक्षर की गजह "150" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iii) जहां कहीं "140-सी" और "115-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमशः "130" और "115" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) 'कैलशियम फासफाइड' से संबंधित प्रविष्टि में, "130—सी" और "110—बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "130" और "110" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) 'कोल्ड स्टार्टर्स' से संबंधित प्रविष्टि के सामने, "120-सी" और "100-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) 'धातु ईंधन (ठोस एल्डीहाइडिक ईंधन ठोस रूप में)' से संबंधित प्रविष्टि में, "110-सी" और "97.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह, क्रमशः "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vii) जहां कहीं "110-सी" और "92·5-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमशः "115" और "95" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(viii) जहां कहीं "100-सी" और "85-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमशः "105" और "85" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ix) 'राल' से संबंधित प्रविष्टि में, "75-सी" और "65-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "80" और "65" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(x) 'गैस शोधकों से लोहे का भुक्त शेष आक्साइड' से संबंधित प्रविष्टि में, "67.5—सी" और "52.5—बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "75" और "52.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;,

(xi) 'ब्लीचिंग पाउडर (चूने का क्लोराइड)' से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "55-सी" और "40-ए" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमशः "60" और "40" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(xii) '100 माइक्रोन, अर्थात् 1/10 मिलीमीटर, से छोटे सूक्ष्म कण वाला कोयले का चूरा', से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "45-सी" (ओ आर) अंकों और अक्षरों की जगह "50" (ओ आर) अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. अध्याय V के अन्त की तालिका V, कालम 2 में, "सामान्य वर्गीकरण" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) जहां कहीं "160-सी" और "130-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमश: "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) 'नाइट्रेट आफ स्ट्रोन्टियम' से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने "110-सी" और "97.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iii) 'परिष्कृत साल्टपीटर' पोटाश का नाइट्रेट या शोरा) से सम्बन्धित प्रविष्टि में "75-सी" और "65-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "80" और "65" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) 'अमोनिया का नाइट्रेट' और 'सोडे का नाइट्रेट' से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, "50-सी" और "35-ए" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "60" और "37.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) 'बीड किलर' (पाउडर) नान-आरसेनिकल, जिसमें कम से कम 40% क्लोरेट हो या क्लोराइडेस या बारैक्स हो, से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "82.5-सी" और "67.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "85" और "67.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) 'साल्टपीटर, क्रूड' से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "50-सी" और "35-ए" अंकों और अक्षरों की जगह "55" और "35" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

7. अध्याय VI के अन्त में तालिका VI के कालम 2 में "सामान्य वर्गीकरण" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) जहां कहीं "160-सी" और "130-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) जहां कहीं "140-सी" और "115-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "130" और "115" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iii) जहां कहीं "130-सी" और "110-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमश: "130" और "110" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) "रासायनिक अग्निशामकों का प्रभार रिफिल्स" से सम्बन्धित प्रविष्टि से "130-सी" और "105-बी" अंकों और अक्षरों की जगह, क्रमश: "130" और "105" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) जहां कहीं "120-सी" और "100-बी" अंक और अक्षर आयें उनकी जगह क्रमश: "120" और "100" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) "कैलशियमबाई–सलफाइट घोल (चूने के घोल का बाइ-सलफाइट, सल्फर डाइ आक्साइड गैस से संतृप्त" से सम्बन्धित प्रविष्टि में "100-सी" और "85-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "105" और "85" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vii) जहां कहीं "67.5-सी" और "57.5-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "75" और "57.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(viii) 'सोडियम एक्शनथेट' से सम्बंधित प्रविष्टि में "82.5-सी" और "67.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "67.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ix) 'रोगन और वार्निश मिटाने वाला (संक्षारक, अज्वलनशील)' से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "75-सी" और "65-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "80" और "65" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(x) जहां कहीं "75-सी" और "62.5-बी" अंक आयें, उनकी जगह क्रमश: "80" और "62.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(xi) 'कास्टिक सोडा लिकर' से सम्बन्धित प्रविष्टि में, "55-सी" और "37.5-ए" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "60" और "40" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

8. अध्याय VII के अन्त में तालिका VII के कालम 2 में "सामान्य वर्गीकरण" शीर्षक के अंतर्गत,–

(i) जहां कहीं "160-सी" और "130-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "150" और "130" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) 'डिनिट्री टोल्यून' से सम्बन्धित प्रविष्टि में "155-बी" अंकों और अक्षर के स्थान पर "150" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iii) जहां कहीं "140-सी" और "115-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "130" और "115" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) जहां कहीं "130-सी" और "110-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "130" और "110" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) जहां कहीं "120-सी" और "100-बी" अंक और अक्षर हों, उनकी जगह क्रमश: "120" और "100' अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vi) जहां कहीं "130-सी" और "105-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "130" और "105" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(vii) 'बेरियम कारबोनेट' से सम्बन्धित प्रविष्टि में "100-सी" और "85-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "105"' और "85" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(viii) 'वीड किलर (पाउडर) नानआरसेनिक और जिसमें क्लोरेट या डिनाइट्रो-आर्टो-क्रीसोल या इसके नमक न हों' से सम्बन्धित प्रविष्टि में "82.5-सी" और "67.5-बी अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "85" और "67.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ix) 'बेरियम क्लोराइड' और 'बेरियम हाइड्रेट (बेरियम हाइड्रोक्साइड)' से सम्बन्धित प्रविष्टियों में "75-सी" और "62.5-बी" अंकों और अक्षरों की जगह क्रमश: "80" और "62.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(x) जहां कहीं "67.5 सी" और "57.5-बी" अंक और अक्षर आयें, उनकी जगह क्रमश: "75" और "57.5" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

व्याख्यात्मक टिप्पण :

रेलवे लाल दर–सूची नियम, 1970 में 1-4-1970 से संशोधन करने के लिये उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये परिवर्तन पहले ही 1 अप्रैल, 1970 से लागू हो चुके हैं। अतः उक्त नियमों को संशोधित करने वाली इस अधिसूचना को पूर्वव्याप्ति से लागू करने से माल भेजने वालों और माल प्राप्त करने वालों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 70-टी जी-IV/21/1]

सी० एस० परमेश्वरन,

सचिव, रेलवे बोर्ड।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 30th January 1971

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of notification of the Government of India in the late Ministry of Transport No. 19-P(82)/48-IV, dated the 31st January, 1950, the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, port dues shall be levied on vessels entering the Port of Kandla and described in the first column of the Schedule hereto annexed at the rates specified in the second column thereof and at the time fixed in the third column of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Vessle Chargeable	Rate of port dues per ton	Due how often chargeable in respect of same vessel
(1) Sea going vessels of 10 tons and upwards (except fishing boats),	25 paise per NRT or part thereof	Once in 30 days
(2) Coasting vessels of 10 tons and upwards (except fishing boats)	20 paise per NRT or part thereof	Once in 30 days
(3) Country crafts of 10 tons and upwards (except fishing boats)	15 paise per NRT or part thereof	Once in 30 days
(4) Tugs, ferry steamers and river steamers	20 paise per NRT or part thereof	Once between the 1st January and the 30th June, and once between the 1st July and the 31st December in each year.

NOTES:—

1. 'Coasting vessel' means any vessel entered as such under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

2. 'Sea-going vessel' means any vessel entered as "foreign-going vessel" under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of recovering Port dues at the Port of Kandla.

3. If the vessel in the course of her voyage changes her character from a coasting vessel to foreign-going vessel or *vice versa*, port-dues at Kandla shall be charged at the higher rate *i.e.*, as for sea-going vessels.

4. In calculating the frequency of payment the day of entry shall be taken as the date of payment irrespective of the actual date of recovery of the dues.

5. 5 paise or over, in the total of port dues payable by a vessel each time shall be reckoned as 10 paise and fractions below 5 paise shall be disregarded.

6. A surcharge of 57.5 per cent shall be levied on the above rates payable by sea-going vessels.

(No. F. 2-PG(40)|69)

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली 30 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 231.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 19-पी० (82)/48-iV तारीख 31 जनवरी, 1950 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान होने के अगले दिन से कांडला पत्तन में प्रवेश करने वाले और इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में वर्णित जलयानों पर पत्तन देय उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दर पर और उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में नियत समय पर उद्ग्रहीत किए जायेंगे ।

अनुसूची

प्रभार्य जलयान	प्रति टन पत्तन देय की दर	एक ही जलयान की बाबत देय कब कब प्रभार्य है ।
1	2	3
(1) 10 टन और उससे अधिक के समुद्र-गामी जलयान (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाए)	प्रति एन आर टी या उसके भाग का 25 पैसे	30 दिनों में एक बार
(2) 10 टन और उससे अधिक के तट-जलयान (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाए)	प्रति एन आर टी या उसके भाग का 20 पैसे	30 दिनों में एक बार

1	2	3
(3) 10 टन और उससे अधिक के देशी नाव (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाए)	प्रति एन आर टी या उसके भाग का 15 पैसे	30 दिनों में एक बार
(4) कम्पनी का पारघाट स्टीमर और नदी स्टीमर	प्रति एन आर टी या उसके भाग का 20 पैसे	प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी और 30 जून के बीच एक बार, और 1 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच एक बार।

टिप्पणी :—

1. 'तट जलयान से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन उस रूप में प्रविष्ट कोई जलयान अभिप्रेत है।

2 'समुद्रगामी जलयान' से कांडला पत्तन में पत्तन देय वसूल करने के प्रयोजन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन 'विदेशगामी जलयान' के रूप में प्रविष्ट कोई जलयान अभिप्रेत है।

3 यदि जलयान अपनी समुद्रयात्रा के बीच में अपना स्वरूप तट जलयान से विदेशगामी जलयान में या विपर्ययेण परिवर्तित कर लेता है तो कांडला पर पत्तन देय उच्चतर दर पर, अर्थात् जैसे समुद्रगामी जलयानों के लिए प्रभारित किए जाएंगे।

4 संदाय की आवृत्ति की गणना करने में प्रविष्टि करने के दिन को देयों की वसूली की वास्तविक तारीख को ध्यान में लाए बिना संदाय की तारीख माना जाएगा।

5 प्रत्येक समय किसी जलयान द्वारा संदेय कुल पत्तन देयों में 5 पैसे या अधिक को 10 पैसे के रूप में संगणना की जाएगी और 5 पैसे से कम अंश छोड़ दिया जाएगा।

6 समुद्रगामी जलयानों द्वारा संदेय उपरोक्त दरों पर 57.7 प्रतिशत अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।

[सं० फा० 2-पी जी(40)/69.]

New Delhi, the 4th February 1971

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes, with effect from the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following alterations in the First Schedule to the said Act, namely :—

In Part II of the First Schedule to the said Act, in the entries relating to the Port of Visakhapatnam in column 3, in entries (a), (b), (c) and (d), for the words "forty paise" wherever they occur, the words "fifty paise" shall be substituted.

[No. 17-PG(44)/70-I.]

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1971

सा० का० नि० 232.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर साठ दिन के अवसान से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ii में, स्तम्भ 3 में विशाखापटणम पत्तन से सम्बन्धित प्रविष्टियों में से (क), (ख), (ग), और (घ) प्रविष्टियों में, जहां-जहां 'चालीस' पैसे शब्द आएं, वहां 'पचास पैसे' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 17-पी जी (44)/70-i]

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, after Schedule II, the Note shall be numbered as Note (1) and after the Note as so numbered, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note (2) A surcharge of 15 per cent shall be leviable on the above rates. This surcharge is leviable on the aggregate of charges plus the existing surcharges as applicable on all rates".

[No. 17-PG(44)/70-ii.]

सा० का० नि० 233.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विशाखापटणम पत्तन जलपोत-संचालन (फीस) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. ये नियम विशाखापटणम पत्तन जलपोत संचालन (फीस) संशोधन अधिनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

2. ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

विशाखापटणम पत्तन जलपोत संचालन (फीस) नियम, 1957 में, अनुसूची ii के पश्चात टिप्पण को टिप्पण i संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात—

"टिप्पण (2) उपरोक्त दरों पर 15 प्रतिशत अधिभार उद्ग्रहीत किया जाएगा । यह अधिभार सभी दरों पर यथा लागू प्रभारों धन वर्तमान अधिभारों के योग पर उदग्रहणीय है ।

[17-पी जी (44)/70-ii]

G.S.R. 234.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Raiway Board) No. 2101-TC dated the 6th December, 1954, namely :—

In the said notification, in the Schedule of Port Dues after Note (5), the following Note shall be added, namely :—

"(6) A surcharge of 15 per cent shall be levied on the above rates. This surcharge is leviable on the aggregate of the charge plus the existing surcharges as applicable on all rates".

2. This notification shall come into force on the expiration of sixty days from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 17-PG(44)/70-iii.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

सा० का० नि० 234.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना सं० 2101-टी० सी० तारीख 6 दिसम्बर, 1954 में निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पतन फीसों की अनुसूची में टिप्पण (5) के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) उपरोक्त दरों पर 15 प्रति शत अधिभार उद्ग्रहीत किया जाएगा, यह अधिभार सभी दरों पर लागू प्रभार धन वर्तमान अधिभारों के योग पर उद्ग्रहणीय हैं ।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के अवसान पर प्रवृत्त होगी ।

[सं० 17–पी जी (44)/70-iii]

के० एल० गुप्ता, अवर सचिव ।

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 5th December, 1970

G.S.R. 235.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Central Bureau of Correctional Services in the Department of Social Welfare, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Bureau of Correctional Services, Department of Social Welfare, Director (Recruitment) Rules, 1970. (2) These shall come come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, Classification and Scale of pay.**—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as sepcified in Columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule

4. **Disqualifications.**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post, and (b) no woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or she has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or posts.

SCHE-

Recruitment rules for the Director Central Bureau of Correctional

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Director	1	General Central Services Class I Gazetted Non-Ministerial	Rs 1300-60-1600-100-1800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

DULE

Services in the Department of Social Welfare

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees/transfer.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage or the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation	*Transfer on deputation*, of officers of the Indian Administrative Service or Central Services class I eligible for appointment as Deputy Secretary to the Govt. of India or equivalent with experience in Correctional Welfare in Administrative or Executive capacity OR Directors of Social Welfare and Senior Deputy Inspectors General of Prisons in the State Governments. (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1968.

[No. F.14/10/68-SW.5.]

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग में निदेशक, सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो के पद पर भर्ती के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) ये नियम सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग, निदेशक (भर्ती) नियम, 1970 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-मान.**—पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा अन्य विषय.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषय उक्त अनुसूची में कालम 5 से 13 तक में दिए गए अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएं.**—(क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या जो एक जीवित पत्नी के होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है जो ऐसी पत्नी के जीवन-काल में होने के कारण अमान्य है तो वह पुरुष उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण अमान्य हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो किसी उम्मीदवार को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

5. छूट देने की शक्ति।—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा पदों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

अनु

समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	प्रवरण पद अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी -1 राज-पत्रित गैर-अनुसचि-वीय	1300—60 1600—100—1800—रुपये	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

सूची

पद के लिए भर्ती के नियम

क्या सीधी भर्ती किए जाने वालो के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति पाने वालों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी	परिवीक्षा का समय यदि कोई हो तो	भर्तीपद्धति, क्या सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तताओं का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण से भर्ती किए जाने पर किन ग्रेडों से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं है	लागू नही है	स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति से	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:** भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी–1 के उन अधिकारियों का, जो भारत सरकार के उप सचिव के रूप मे अथवा उसके बराबर के पद पर नियुक्ति के पात्र हों और जिन्हें सुधारात्मक कल्याण में प्रशासनिक या कार्यकारी हैसियत में अनुभव हो अथवा	लागू नहीं है	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधिनापेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
			समाज कल्याण निदेशक तथा राज्य सरकारों में जेलों के प्रवर उप महा-निरीक्षक । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		

[सं० एफ० 14/19/68-ए० डब्लू-5]

टी० एस० एन० स्वामी, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Dehi, the 3rd February, 1971

G.S.R. 236.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Film Institute of India (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1961, namely:—

(1) These rules may be called the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette—

2. In the Film Institute of India (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1961,—

(i) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Disqualification*:— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a pouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule"—

(ii) in the Schedule, against serial No. 16, in column 5, after the existing entry the following shall be inserted, namely :—

"10 per cent of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occuring in a year will be filled from Class IV employees (borne on regular establishment), subject to the following conditions:—

(a) Selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement

of minimum educational qualification, namely, Matriculation or equivalent.

(b) The maximum age for this examination would be 40 years (45 years for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes). The upper age limit is relaxable upto 45 years (50 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) for the first two examination to be held under the Scheme.

(c) At least five years service in Class IV would be essential.

(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10 per cent of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year (unfilled vacancies would not be carried over)".

[No. F.3/2/70-F(A).]

K. K. KHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1971

जी०एस०आर० 236.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1961 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों को भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1961 में—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"6. **अनर्हता**:—जिसने,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पत्नी जीवित हो, या

(ख) जीवित पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से विवाह किया हो; वह उक्त पदों पर नियुक्ति का/की पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर कि इस प्रकार के व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, उसे इस नियम से छूट दे सकती है।"

(2) परिशिष्ट में क्रम संख्या 16 के सामने कालम 5 में वर्तमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:—

"1 वर्ष में अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में होने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित शर्तों के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जो नियमित सिब्बंदी पर होंगे) में से भरी जायेंगी:—

(क) चयन विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा जो चतुर्थ श्रेणी के केवल उन कर्मचारियों के लिये सीमित होगी जो मैट्रिक या इसके समक्ष की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूरी करेंगे ।

(ख) इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष) । इस योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली पहली दो परीक्षाओं में उपरि आयु सीमा में 45 वर्ष तक (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए 50 साल तक) की छूट होगी ।

(ग) चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी ।

(घ) इस पद्धति द्वारा भरे जाने वाले पदों की अधिकतम संख्या एक वर्ष में अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में होने वाली रिक्तियों की 10 प्रतिशत होगी । (न भरे जाने वाली रिक्तियां अगले साल नहीं ले जाई जायेंगी) ।

[संख्या एफ० 3/2/70—एफ०ए०]

के० के० खान, अवर सचिव ।

New Delhi, the 19th January 1971

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Evaluation Officer in the Directorate of Field Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. **Short title and commencement**: (1) These rules may be called the Directorate of Field Publicity, Assistant Evaluation Officer (Class II post) Recruitment Rules, 1971.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Application:** These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number, Classification and scale of pay:** The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribues or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

6. **Disqualification:** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax:**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be an order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

THE

Recruitment

Name of post	No. of posts	Clasification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Evaluation Officer	1	General Central Service Class II Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800.	Not applicable.	35 years and below (Relaxable for Government Servants).	*Essential* : (i) Degree of a recognised University with Economics or Statistics as one of the Subjects or Equivalent (ii) About 3 years experience of publicity work in a Government Department or a publicity organisation of repute including experience in Survey, Research and Evalution. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case the candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Knowledge of Hindi and any one or more of the Regional languages.

SCHEDULE

Rules

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees/transferees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 6/17/68-DFP.]

S. Padmanabhan, *Dy. Secy*

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1971

जी०एस०आर० 237.—संविधान के अनुच्छेद द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सहायक मूल्यांकन अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

(1) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का (सहायक मूल्यांकन अधिकारी क्षेत्री ।। पद) भर्ती नियम 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी-राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम में निर्दिष्ट पद की भर्ती के लिये लागू होगा ।

3. **संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—इस पद का संख्या, इसका वर्गीकरण, इसका वेतनमान, इसकी भर्ती पद्धति एवम् उनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए अनुसार होगा ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिणिक योग्यता:** —इस पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा शक्षणिक योग्यताएं और इन से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

परन्तु सरकारी कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा विशेष श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवार के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उक्त परिशिष्ठ के कालम 6 में निर्धारित आयु सीमा में छट दी जा सकेगी ।

5. **अयोग्यताएं:**—(क) एसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी की जीवित दशा में ऐसा विवाह करता है जो उसकी पत्नी के जीवन काल में किए जाने के कारण शन्य है, इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, तथा

(ख) एसी स्त्री जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की कोई पत्नी जीवित थी या उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने के विशेष आधार हैं तो वह उसे छूट दे सकती है ।

6. रियायत देने की शक्ति.—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित है तो वह लिखित कारणों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ले कर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति या पद के लिए इन नियमों के उपबन्धों में रियायत कर सकती है।

अनु-

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सूचना और प्रसारण

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक व अन्य योग्यताऐं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मूल्यांकन अधिकारी	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II राजपत्रित (अलिपिकीय)	रु० 350—25—500—30—590—द० रो० 30—800	लागू नहीं होता	35 वर्ष और उससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा बढ़ाई जा सकती है)	आवश्यक : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समतुल्य संस्था से अर्थ शास्त्र या संख्यिकी सहित डिग्री (II) किसी सरकारी विभाग या सुप्रसिद्ध प्रचार संस्था में प्रचार कार्य का लगभग 3 वर्ष का अनुभव जिसमें सर्वेक्षण अनुसंधान और मूल्यांकन का अनुभव भी शामिल है। (जो उम्मीदवार अन्यथा योग्य होंगे उनकी योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है)

सूची

मन्त्रालय, में सहायक मूल्यांकन अधिकारी के पद के लिये भर्ती के नियम ।

क्या सीधी भर्ती के लिये विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति स्थानातरित व्यक्तियों पर लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका क्या सीधी भर्ती किया जायगा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भर्ती की प्रतिशतता काय होगी	यदि पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की जाए तो यह पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानान्तरण किन ग्रेडों से किया जायगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हो तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में परिस्थितियों के कारण संघ लोक सेवा आयोग से राय ली जानी है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से मुक्ति) विनियमावली 1958 के अधीन आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						वांछनीय : हिन्दी तथा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं की जानकारी ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

[संख्या 6/17/68-डी० एफ० पी०]

एस० पद्मनाभन, उप-सचिव ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st February 1971

G.S.R. 238.—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), at page 2943 of the Gazette of India Part II, Section 3—Sub-section (i), dated the 22nd August, 1970, with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. G.S.R. 1198, dated the 7th August, 1970, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 30th November, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd August, 1970;

And whereas the objections or suggestions received from the public have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. These Rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 1971.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Section C of Schedule II, under clause (d) of paragraph 1, after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :—

"3:50 per cent of solo gliding experience shall count towards solo flying experience requirement, subject to a maximum of ten hours."

[No. F. 10-A/58-69/AR/AM(2)/71.]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1971

सा०का०नि० 238—यतः भारत के राजपत्र, भागII, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 22 अगस्त, 1970 के पृ 2943 पर भारत सरकार के पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1198, तारीख 7 अगस्त, 1970, जिसमें तदद्वारा संभव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से 30 नवम्बर, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, के अन्तर्गत वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 22 अगस्त, 1970 को उपलब्ध कर दिया गया था;

और यतः जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

2. वायुयान नियम, 1937, में अनुसूची II के खण्ड ग में, पैरा 1 के खण्ड (घ) के नीचे टिप्पण 2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3. सोलो (एकाकी) उड़ान के अनुभव की अपेक्षा के संबंध में सोलो ग्लाइडिंग के अनुभव के 50 प्रतिशत की गणना की जाएगी किन्तु अधिकतम दश घंटों के ऐसे अनुभव को ही गणना में लिया जाएगा।"

[सं० फा० 10-1/53-69/एस आर/एम(2)/71]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप-सचिव।

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December 1970

G.S.R. 239.—In the English version of the Ministry of Education and Youth Services (Special Officer Book Promotion) Recruitment Rules, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Education and Youth Services No. F. 5-2/69-E.I dated the 23rd July, 1970 as G.S.R. No. 1155, at pages 2765 to 2769 of the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section(i), dated the 15th August, 1970, in the Schedule, at page 2767, read the following as column 13 thereof, namely:—

"Circumstances in which the U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
13
As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958".

[No. F. 5-2/69-EI.]

K. S. AHLUWALIA, Under Secy.

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 1970

जी० एस० आर० 239—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय (विशेष अधिकारी पुस्तक वर्धन) भर्ती नियम, 1970 के अंग्रेजी रूपान्तर में, जो कि भारत के शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 5-2/69 ई०-1 दिनांक 23 जुलाई, 1970 के साथ जी एस आर संख्या 1155 के रूप में भारत के राजपत्र भाग II, धारा 3, उपधारा (1) दिनांक 15 अगस्त, 1970 के पृष्ठ संख्या 2765 से 2769 तक अनुसूची में पृष्ठ 2767 पर प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित को उसके कालम संख्या 13 के रूप में पढ़िये, अर्थात :—

"वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना है	13
	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में अपेक्षित है"

(सं० एफ० 5-2/69-ई आई)

के० एस० अहलुवालिया, अवर सचिव ।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 2nd February 1971

THE COST AUDIT (REPORT) AMENDMENT RULES, 1971.

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 233B, read with sub-section (1) of section 227, and clause (b) of sub-section (1) of section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Audit (Report) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Audit (Report) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In rule 3 of the Cost Audit (Report) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "in accordance with the procedure", the words "in the form, and in accordance with the procedure," shall be substituted.

3. For rule 4 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"4. *Time limit for rendition of report.*—The cost auditor shall send his report to the Company Law Board and to the company within one hundred and twenty days from the end of the company's financial year to which the cost audit report relates.

5. *Cost auditor to be furnished with cost accounting records, etc.*—Without prejudice to the powers and duties the cost auditor shall have under sub-section (4) of section 233B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the company and every

officer thereof, including the persons referred to in sub-section (6) of section 209 of the said Act, shall make available to the cost auditor within ninety days from the end of the financial year of the company such cost accounting records, cost statements and other books and papers that would be required for conducting the cost audit, and shall render necessary assistance to the cost auditor so as to enable him to complete the cost audit and send his report within the time limit specified in rule 4.

6. Penalities.

(1) If default is made by any cost auditor in complying with the provisions of rule 3 or rule 4, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) If default is made by a company in complying with the provisions of rule 5, the company and every officer of the company (including the persons referred to in sub-section (6) of section 209 of the Companies Act, 1956) who is in default, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees."

4. In the Schedule to the said rules, in the "Annexure to the Cost Audit Report",—

(a) under the heading "3. Financial Position", for the brackets and words "(Relating to the product under reference if possible, otherwise for the company as a whole"), the following shall be substituted, namely:—

"(Relating to the product under reference if possible, otherwise for the company as a whole. Indicate the particulars of the amounts included in items (1), (2) and (3) below, duly reconciled with the financial accounts of the company for the relevant period.)";

(b) under the heading "16. Auditor's Observations and Conclusions", after item (iii), the following items shall be inserted, namely:—

"(iv) A statement showing the reconciliation of the profit or loss as indicated under 3(3) above with the profit or loss relating to the product under reference as arrived at on the basis of the cost statements annexed to the report and the net sales realisation as indicated in 13(1) above shall be appended to the report.

(v) After the auditor appointed under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) submits his report, the cost auditor may, if he considers it necessary, submit a supplementary report to the Company Law Board before the date fixed for holding the annual general meeting of the company. The supplementary report shall be limited to the extent of reconciling the statements annexed to the cost audit report with the financial accounts of the company".

[No. 52/1/68-CL.II.]

M. K. BANERJEE, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 240.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (1) और धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 233ख की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) संशोधन नियम, 1971

1. (1) ये नियम लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये तुरन्त प्रवत्त होंग ।

2. लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में 'प्रक्रिया के अनुसार' शब्दों के स्थान पर "प्ररूप में, और प्रक्रिया के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

4. रिपोर्ट देने के लिए समय परिसीमा :—लागत संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट कम्पनी विधि बोर्ड और कम्पनी को कम्पनी के उस वित्तीय वर्ष जिससे लागत संपरीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित है, के अन्त से एक सौ बीस दिन के भीतर भेजेगा ।

5. लागत संपरीक्षक को लागत लेखा अभिलेखा, आदि दिया जाना :—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233ख की उपधारा (4) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कम्पनी और उसका हर अधिकारी, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित है, कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त से नब्बे दिन के भीतर लागत संपरीक्षक को, ऐसे लागत लेखा अभिलेखा, लागत विवरण और अन्य बहियां और कागज-पत्र जो लागत संपरीक्षा करने के लिये अपेक्षित होगी, उपलब्ध कराएंगे, और लागत परीक्षा पूराकरने और नियम 4 में विनिर्दिष्ट समय परिसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजने में समर्थ हो ।

6. शास्तियां :—(1) यदि नियम 3 या 4 के उपबन्धों का अनुपालन करने में किसी लेखा संपरीक्षक द्वारा व्यक्तिक्रम किया जाता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि नियम 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में किसी कम्पनी द्वारा व्यक्तिक्रम किया जाता है तो कम्पनी और कम्पनी का हर अधिकारी (जिसमें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित है । जो व्यतिक्रम में है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

4. उक्त नियमों की अनुसूची में,—"लागत संपरीक्षा रिपोर्ट" का उपाबन्ध में —

(क) "3 वित्तीय स्थिति" शीर्षक के अन्तर्गत "(यदि सम्भव हो तो उस उत्पाद से सम्बन्धित जिसके प्रति निर्देश हो, अन्यथा सम्पूर्ण रूप में कम्पनी के लिए)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यदि सम्भव हो तो उस उत्पाद से सम्बन्धित जिसके प्रति निर्देश हो, अन्यथा सम्पूर्ण रूप में कम्पनी के लिए । नीचे मद (1), (2) और (3) में सम्मिलित रकमों की विशिष्टियां, जो सुसंगत अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय लेखा के साथ सम्यक् रूप से मेल खाती हों, उपदर्शित करे ।)"

(ख) "16 संपरीक्षक के संप्रेक्षण और निष्कर्ष" शीर्षक के अन्तर्गत, मद (iii) के पश्चात निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(iv) ऊपर 3 (3) के अधीन यथा उपदर्शित लाभ और हानि का, रिपोर्ट से उपाबद्ध लागत विवरणों के आधार पर निकाले गये उत्पाद जिसके प्रति निर्देश किया गया है, से सम्बन्धित लाभ और हानि से मिलान को दर्शाने वाला और ऊपर 13(1) में यथा उपदर्शित शुद्ध बिक्री का विवरण रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(V) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक के रिपोर्ट देने के पश्चात लागत संपरीक्षक, यदि वह आवश्यक समझे तो कम्पनी विधि बोर्ड को कम्पनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन करने की नियत तारीख से पूर्व, एक अनुपूरक रिपोर्ट दे सकेगा। अनुपूरक रिपोर्ट, लागत संपरीक्षा रिपोर्ट के संलग्न विवरणों का कम्पनी के वित्तीय लेखाओं से मिलान करने तक सीमित होगी"।

[संख्या फा० 52/1/68-सी० एल/2]

एम० के० बनर्जी, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 20th January 1971

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Posts and Telegraphs Department, Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Assistant Hindi Supervisors) Recruitment Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Posts and Telegraphs (Assistant Hindi Supervisors) Recruitment Rules, 1969, for rule 5, the following rule shall be substituted; namely:—

"5. *Disqualifications.*—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule."

[No. 59/1/69-SPB. I.]

R. RAJAGOPALAN,

Asstt. Director General (SPN).

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली 20 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 241.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा भारतीय डाक-तार भर्ती नियमावली, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय डाक-तार (सहायक हिन्दी पर्यवेक्षक) भर्ती संशोधन नियम 1971 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. डाक-तार (सहायक हिन्दी पर्यवेक्षक) भर्ती नियमावली, 1969 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

अनर्हताएं :—

(क) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसा करने का करार किया हो तो वह इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार छूट के आदेश देने के कारणों से सन्तुष्ट होने पर कि वह विवाह व्यक्तिक कानून के अन्तर्गत तथा अन्य आधारों पर किसी ऐसे व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी के लिए अनुमत्य है तो इस नियम से छूट दे सकती है ।

[संख्या 59-1/69-एस० पी० बी०-1]

आर० राजगोपालन

सहायक महानिदेशक (एस० पी० एन०)

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 1971

सा० का० नि० 190.—संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम 37) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 फरवरी, 1971 को उस तारीख के रूप में नियत करती जिससे उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[सं० एम 18011(2)/71-एल डब्ल्यू आई-1/खंड II,]

सा० का० नि० 191.—संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम, जो उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्—

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये नियम संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है;

(ख) "अपील अधिकारी" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार संविद् श्रमिक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "समिति" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

अध्याय 2

केन्द्रीय बोर्ड

3. बोर्ड का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :—

(क) अध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी;

(ख) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)—पदेन;

(ग) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसे वह सरकार अपने पदधारियों में से नियुक्त करेगी ;

(घ) रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार रेल-बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी ;

(ङ) चार व्यक्ति, एक कोयला खान के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक अन्य खानों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला और दो उन ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनको अधिनियम लागू होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियोजकों और ठेकदारों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी ;

(च) पांच व्यक्ति, एक रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक कोयला खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक अन्य खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला और दो उन ठेकेदारों, जिन को अधिनियम लागू होता है के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी।

4. **पदावधि.**—(1) बोर्ड का अध्यक्ष इस रूप में अपना पद उस तारीख से, जिसको उसकी नियुक्ति शासकीय राजपत्र में प्रथम वार अधिसूचित हुई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा।

(2) नियम 3 के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड का प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा।

(3) नियम 3 के खण्ड (ङ) और (च) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना पद उस तारीख से, जिसको उसकी नियुक्ति शासकीय राजपत्र में प्रथम बार अधिसूचित हुई है, प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा।

परन्तु जहां ऐसे किसी सदस्य का उत्तरवर्ती उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं हुआ है वहां ऐसा सदस्य अपने पद की अवधि के समाप्त होने पर भी ऐसे पद का अपने उत्तरवर्ती की नियुक्ति के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित होने की अवधि तक धारण करता रहेगा।

(4) यदि कोई सदस्य बोर्ड का किसी अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ हो, तो केन्द्रीय सरकार या वह निकाय, जिसने उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया हो, ऐसी लिखित सूचना द्वारा जिस पर उसकी ओर से और ऐसे सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और जो उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित हो, उसके स्थान पर अधिवेशन में हाजिर होने के लिए प्रतिस्थानी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को उस अधिवेशन की बात सदस्य के सभी अधिकार होंगे और उस अधिवेशन में किया गया विनिश्चय उक्त निकाय पर आबद्धकर होगा।

5. **त्यागपत्र.**—बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद उस तारीख से जिसको ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए, रिक्त हो जाएगा।

6. **सदस्यता की समाप्ति.**—यदि बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में ऐसी अनुपस्थिति के लिए अध्यक्ष की इजाजात लिए बिना, हाजिर होने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में हाजिर होने से पर्याप्त हेतुक द्वारा रोका गया था तो वह यह निदेश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य बोर्ड के सादस्य बना रहेगा।

7. **सदस्यता के लिए निरर्हता.**—(1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदय नियुक्त किए जाने और होने के लिए निरर्हित होगा—

(i) यदि वह विकृतचित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है, सिद्धदोष ठहराया जा चुका है या ठहराया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपनियम (1) के अधीन निरर्हता उपगत हुई है तो केन्द्रय सरकार इसका विनिश्चय करेगी।

8. **सदस्यता से हटाया जाना.**—केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करने से परिवर्तित हो गया है जिसका प्रतिनिधित्व बोर्ड में उसके द्वारा किया जाना तात्पर्यित है ;

परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्ति युक्त अवसर न दे दिया गया हो।

9. **रिक्ति.**—(1) जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति हो जाए या होने की संभावना हो, तम अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार रिक्ति को व्यक्तियों के उस प्रवर्ग में से नियुक्ति द्वारा, जिसका कि सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति है, भरने के लिए कदम उठाएगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

10. **कर्मचारीवृन्द.**—(1) (i) केन्द्रीय सरकार अपने पदधारियों में से किसी एक को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अन्य कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगी जो वह इसलिए आवश्यक समझे कि बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन कर सके।

(ii) कर्मचारीवृन्द को देय सम्बलम्, भत्ते और ऐसे कर्मचारीवृन्द की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

(2) सचिव—

(i) बोर्ड के अधिवेशनों को संयोजित करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा,

(ii) अधिवेशनों में हाजिर रह सकेगा किन्तु वह ऐसे अधिवेशनों में मत देने का हकदार नहीं होगा;

(iii) ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखगा; और

(iv) बोर्ड के अधिवेशनों में किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

11. **सदस्यों के भत्ते.**—(1) किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता, उन नियमों द्वारा शासित होगा, जो उसके द्वारा पदीय कर्त्तव्य पर की गई यात्रा के लिए उस पर लागू होते हैं और वह यात्रा भत्ता उसके सम्बलम् का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

(2) बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशन में हाजिर होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय है और दैनिक भत्ता, केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों को उनके अपने अपने स्थानों में अनुज्ञेय अधिकतम दर पर संगणित किया जाएगा।

12. **कारबार का निपटान.**—ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो आवश्यक कागजों को प्रत्येक सदस्य की राय के लिए भेज कर विचार किया जाएगा और प्रश्न को बहुमत के विनिश्चय के अनुसार निपटाया जायेगा;

परातु मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अध्यक्ष" में अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये नियम 13 के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष सम्मिलित है।

13. **अधिवेशन.**—(1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थानों और समयों पर होगा जिन्हें अध्य विनिर्दिष्ट क

(2) अध्यक्ष बोर्ड के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन की जिसमें वह उपस्थित हो अध्यक्षता करेगा और अपनी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेके लिए बोर्ड के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा।

14. **अधिवेशनों की सूचना और कार्यसूची.**—(1) सामान्यतः सदस्यों को प्रस्थापित अधिवेशन की सात दिन की सूचना दी जाएगी।

(2) किसी भी ऐसे कारबार पर जो अधिवेशन के लिए कार्य सूची में नहीं है उस अधिवेशन में अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

15. **गण पूर्ती** : किसी भी अधिवेशन में जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों किसी कारबार का संव्यहार नहीं किया जावेगा ;

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में पांच से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को इत्तला देकर और अन्य सदस्यों को यह सूचना देकर कि वह कारबार को स्थगित अधिवेशन में चाहे विहित गणपूर्ति हो या न हो निपटाने की प्रस्थापना करता है अधिवेशन को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा और तब स्थगित अधिवेशन में कारबार की निपटाना उसके लिए विधिमान्य होगा चाहे उस में हाजिर रहने वाले सदस्यों की संख्या कुछ भी हो ।

16. **बोर्ड की समितियां**.— (1) (i) बोर्ड ऐसी समितियां, ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ।

(ii) समिति का गठन करते समय बोर्ड अपने एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) समिति का अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होगा जिन्हें उक्त समिति का अध्यक्ष विनिश्चित करे और समिति अपने अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जैसे वह विनिश्चित करे ।

(3) नियम 11 के उपबन्ध समिति के सदस्यों को, समिति के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे बोर्ड के सदस्यों को लागू होते हैं ।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन

17. **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण लिए आवेदन करने की रीति**.—(1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन उस क्षेत्र के जिसमें रजिस्ट्रीकरण कृत किए जाने के लिए ईप्सित स्थापन स्थित है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, प्ररूप 1 में, तीन प्रतियों में दिया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ एक खजाना चालान होगा जिसमें स्थापन के रजिस्ट्रीकरण लिए फीस का संदाय दर्शित होगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को या तो स्वयं परिदत्त किया जाएगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अपने द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को अभिस्वीकृत प्रदान करेगा ।

18. **रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का आनुवृत्त** किया जाना —(1)धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में होगा ।

(2) धारा 7 की उद्धारा (2) के अधीन अनुदत्त किए गए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) स्थापन का नाम और पता ;

(ख) स्थापन में संविद श्रमिकों के रूप में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या ;

(ग) स्थापन में किस प्रकार का कारबार, व्यापार, उद्योग, विनिर्माण या उपजीविका चलायी जाती है ;

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो स्थापन में संविद श्रमिकों के नियोजन से सुसंगत हों ।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्ररूप 3 में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उन स्थापनों की विशिष्टियां दर्शित की जाएंगी जिनके संबन्ध में उनके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

(4) यदि, किसी स्थापन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हो तो स्थापन का प्रधान नियोजनक ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से तीन दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की विशिष्टियां और उसके कारण रजिस्ट्रीकर्ता को प्रज्ञापित करेगा ।

19. **वे परिस्थितियां जिनमें रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन को नामंजूर किया जा सकेगा**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए दिया गया कोई आवेदन सब प्रकार से पूर्ण न हो तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रधान नियोजक से आवेदन को इस प्रकार संशोधित करने की अपेक्षा करेगा कि वह सब प्रकार सम्पूर्ण हो जाए ।

(2) यदि प्रधान नियोजक रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए अपने आवेदन में संशोधन करने की, अपेक्षा किए जाने पर, ऐसा नहीं करता या करने में असफल रहता है तो, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

20. **रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का संशोधन**—(1) यदि नियम 18 के उपनियम (4) के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि प्रधान नियोजक द्वारा स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में दी गई रकम से अधिक रकम देय है तो वह ऐसे प्रधान नियोजक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसीराशि, जो ऐसे प्रधान नियोजक द्वारा पहले से ही दी गई रकम सहित, स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए देय फीस की ऐसी अधिक रकम के बराबर हो, निक्षिप्त करे और ऐसे निक्षेप को दर्शित करने वाली खजाने की रसीद प्रस्तुत करे ।

(2) यदि नियम 18 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रज्ञापन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रजिस्टर में प्ररूप 3 में यथा प्रविष्ट, स्थापन की विशिष्टियों में परिवर्तन हुआ है तो वह उक्त रजिस्टर में संशोधन करेगा और जो परिवर्तन हुआ है उसको उसमें अभिलिखित करेगा:

परन्तु ऐसे किसी भी संशोधन का ऐसे संशोधन से पूर्व की गई किसी बात या कार्रवाई पर या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, बाध्यता या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्टर में प्ररूप 3 में तब तक कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक कि प्रधान नियोजक द्वारा समुचित फीस निक्षिप्त न कर दी गई हो ।

21. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन—(1) अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदन उस क्षेत्र के, जिसमें वह स्थापन, जिसका वह ठेकेदार है, स्थित है, अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 4 म तीन प्रतियों में दिया जाएगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप 5 में प्रधान नियोजक द्वारा दिया गया इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र होगा कि आवेदक को उसके द्वारा अपने स्थापन के संबंध में ठेकेदार के रूप में नियोजित किया गया है, और यह कि वह आवेदक द्वारा संविद् श्रमिकों के नियोजन की बाबत अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबन्धों द्वारा, जहां तब वे उपबन्ध प्रधान नियोजक के रूप में उस पर लागू होते हैं, आबद्ध होने का जिम्मा लेता है ।

(3) ऐसा प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी को या तो स्वयं परिदत्त किया जाएगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को अभिस्वीकृति प्रदान करेगा ।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ खजाना रसीद भी होगी जिसमें निम्नलिखित दर्शित होगा:—

(i) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति का निक्षेप, और

(ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय ।

22. वे बातें जिनका अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसे देने से इनकार किए जाने के समय ध्यान रखा जाएगा.—अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसे देने से इन्कार किए जाने के समय अनुज्ञापन अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) क्या आवेदक—

(i) अवयस्क है, या

(ii) विकृतचित्त का है और अक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(iv) किसी ऐसे अपराध के लिए जिस में केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है (आवेदन की तारीख से ठीक पूववर्ती पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय), सिद्धदोष ठहराया जा चुका है;

(ख) क्या उस स्थापन में जिसका आवेदक ठेकेदार है विशिष्ट प्रकार के काम की बाबत संविद् श्रमिक के उत्सादन के लिए समुचित सरकार का कोई आदेश, या कोई पंचाट या परि-निर्धारण है;

(ग) क्या आवेदक की बाबत धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है और यदि किया गया है तो क्या उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत चुकी है;

(घ) क्या आवेदन के लिए फीस नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर निक्षिप्त कर दी गई है; और

(ङ) क्या आवेदक द्वारा नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति निक्षिप्त कर दी गई है।

23. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार करना.—(1) आवेदन की प्राप्ति पर, और तत्पश्चात् यथा संभव शीघ्र, अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसी वह अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) (i) जहां अनुज्ञापन अधिकारी की राय हो कि अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जानी चाहिए वहां वह, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजर करने वाला आदेश करेगा।

(ii) आदेश में इन्कार के कारण अभिलिखित किए जाएंगे और आवेदक को संसूचित किये जाएंगे।

4. प्रतिभूति.—(1) अनुज्ञप्ति जारी किए जाने से पूर्व ऐसे संविद श्रमिकों, जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए 30 रु० की दर पर संगणित रकम, ठेकेदार द्वारा, अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए निक्षिप्त की जाएगी।

(2) प्रतिभूति—निक्षेप की रकम स्थानीय खजाने में "सक्शन डी—निक्षेप और अग्रिम —भाग 2 ब्याज रहित निक्षेप—(सी) अन्य निक्षेप लेखा—विभागीय और न्यायिक निक्षेप—सिविल निक्षेप—संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय) के अधीन निक्षेप" लेखाशीर्ष में संदत्त की जाएगी।

25. अनुज्ञप्ति का प्ररूप और निबन्धन तथा शर्तें.—(1) धारा 12 की उपधारा (1) अधीन अनुदत्त की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 6 में होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुदत्त की गई और नियम 29 के अधीन नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(i) अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी;

(ii) स्थापन में संविद् श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(iii) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाए, अनुज्ञप्ति के यथास्थिति, अनुदत्त किए जाने या नवीकरण के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी;

(iv) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें, जहां लागू हों, ऐसे नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन विहित जदरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत की गई है वहां ऐसे नियत दरों से कम नहीं होंगी;

(v) (क) उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का या उसके समरूप काम करते हैं जैसा कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किए गए कर्मकार करते हैं वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश-दिन, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के प्रधान नियोजक

द्वारा उसी प्रकार के या उसके समरूप काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं; परन्तु काम के प्रकार की बाबत असहमति के होने की दशा में उसका विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(ख) अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश-दिन, काम के घण्टे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त (ख) के अधीन मजदूरी की दरें, अवकाश-दिन, काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करने में मुख्य श्रम आयुक्त तत्समान नियोजनों में प्रचलित मजदूरी की दरों, अवकाश-दिनों, काम के घण्टों और सेवा की अन्य शर्तों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा;

(vi) (क) प्रत्येक ऐसे स्थापन में जहां संविद् श्रमिकों के रूप में सामान्यतया बीस या उससे अधिक स्त्रियां नियोजित की जाती हैं जहां उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए उचित विमाओं के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) ऐसे कमरों में से एक का प्रयोग बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे को बच्चों के लिए शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा ।

(ग) ठेकेदार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खेल-खिलौने और शयन कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाइयों और बिस्तरों की व्यवस्था करेगा ।

(घ) शिशुकक्षों के सन्निर्माण और अनुरक्षण का स्तर वह होगा जो मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए;

(vii) यदि कर्मकारों की संख्या या काम की शर्तों में कोई परिवर्तन हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसे अनुज्ञापन अधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

26 फीस.—(1) धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए दी जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी, अर्थात्:—

यदि किसी भी दिन संविदा पर नियोजित किए जाने के लिए प्रस्थापित कर्मकारों की संख्या—

(क) 20 है	तो 20/- रुपए
(ख) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है . .	तो 50/- रुपए
(ग) 50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है . .	तो 100/- रुपए
(घ) 100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है . .	तो 200/- रुपए
(ङ) 200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है . .	तो 400/— रुपये
(च) 400 से अधिक है	तो 500/- रुपए

(2) धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए दी जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी :

यदि किसी भी दिन ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या--

(क)	20 है	तो 5.00 रुपए
(ख)	20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है . . .	तो 12.50 रुपए
(ग)	50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है . .	तो 25.00 रुपए
(घ)	100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है . .	तो 50.00 रुपए
(ङ)	200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है . .	तो 100.00 रुपए
(च)	400 से अधिक है	तो 125.00 रुपए

27. **अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता.**--नियम 25 के अधीन अनुदत्त की गई या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसके अनुदत्त किए जाने या नवीकृत किए जाने की तारीख से बारह मास के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

28. **अनुज्ञप्ति का संशोधन.**--(1) नियम 25 के अधीन अनुदत्त की गई या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति अपने और पर्याप्त कारणों से, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा संशोधित की जा सकेगी ।

(2) वह ठेकेदार जो अनुज्ञप्ति को संशोधित कराना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को संशोधन की प्रकृति और उसके लिए कारण कथित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) (i) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन मंजूर कर लेता है तो वह आवेदक से उतनी रकम के लिए, यदि कोई हो, खजाना रसीद देने की अपेक्षा करेगा, जितनी अनुज्ञप्ति को मूलतः संशोधित रूप में जारी करने के लिए देय फीस अनुज्ञप्ति के लिए पहले से दी गई फीस से अधिक है ।

(ii) आवेदक के अपेक्षित खजाना रसीद दे दिए जाने पर अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा ।

(4) जहां संशोधन के लिए दिए गए आवेदन को नामंजूर कर दिया जाए वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें आवेदक को संसूचित करेगा ।

29. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण.**--(1) प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन देगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप 7 में तीन प्रतियों में होगा और उस तारीख से, जिसको अनुज्ञप्ति का अवसान होता है कम से कम तीस दिन पहले दिया जाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार दिया जाता है तो अनुज्ञप्ति ऐसी तारीख तक नवीकृत समझी जाएगी जब तक कि नवीकृत अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी जो उसके अनुदत्त किए जाने के लिए है :

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता तो ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस अनुज्ञप्ति के लिए सामान्यतः देय फीस से 25 प्रतिशत अधिक होगी

परन्तु यह और कि उस दशा में जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदन का देर से प्रस्तुतीकरण ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण था जो ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर थी तो वह फीस के ऐसे आधिक्य के संदाय को कम या माफ, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा ।

30. **रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी करना.**—जहां पूर्ववर्ती नियमों के अधीन अनुदत्त या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति खो गई हो, विरूपित हो गई हो या घटनावश नष्ट हो गई हो वहां पांच रुपए फीस देने पर दूसरी प्रति अनुदत्त की जा सकेगी ।

31. **प्रतिभूति का प्रतिदाय.**—(1) (i) अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान पर, ठेकेदार यदि वह अपनी अनुज्ञप्ति को नवीकृत नहीं कराना चाहता, तो वह अनुज्ञापन अधिकारी को अपने द्वारा नियम 24 के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूति के प्रतिदाय के लिए आवेदन दे सकेगा ।

(ii) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का भंग नहीं हुआ है या नियम 14 के अधीन प्रतिभूति या उसके किसी अंश के समपहरण के लिए कोई आदेश नहीं है तो वह निदेश देगा कि आवेदक को प्रतिभूति का प्रतिदाय कर दिया जाये ।

(2) यदि प्रतिभूति के किसी अंश का समपहरण करने के लिए निदेश देने वाला कोई आदेश हो, तो प्रतिभूति-निक्षेप में से समपहरण किए जाने वाली रकम की कटौती कर ली जाएगी और यदि कोई अतिशेष हो तो उसका प्रतिदाय आवेदक को कर दिया जाएगा ।

(3) प्रतिदाय के लिए दिए गए आवेदन को यथासंभव आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा ।

32. **रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाणपत्र और अस्थायी अनुज्ञप्ति का अनुदान किया जाना.**—(1) जहां किसी स्थापन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि संविद श्रमिकों के तत्काल नियोजन की अपेक्षा हो और यह प्राक्कलित किया गया हो कि ऐसा नियोजन पन्द्रह दिन से अधिक नहीं रहेगा वहां, यथास्थिति, स्थापन का प्रधान नियोजक या ठेकेदार उस क्षेत्र पर, जिसमें वह स्थापन स्थित है, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाणपत्र या अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दे सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के ऐसे अस्थायी प्रमाणपत्र या ऐसी अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन क्रमशः प्ररूप 8 और प्ररूप 10 में तीन प्रतियों में दिया जाएगा और उसके साथ खजाना रसीद या क्रास पोस्टल आर्डर होगा जो, यथास्थिति, समुचित रजिस्ट्रीकर्ता या अनुज्ञापन अधिकारी के पक्ष में लिखा गया होगा और जिसमें समुचित फीस का संदाय और अनुज्ञप्ति की दशा में प्रतिभूति की समुचित रकम भी दर्शित होगी ।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर और आवेदक के शपथपत्र पर या अन्यथा यह समाधान हो जाने पर कि वह काम जिसकी बाबत आवेदन दिया गया है पन्द्रह दिन की अवधि में समाप्त हो जाएगा और वह ऐसी प्रकृति का था कि उसे तत्काल ही किया जा सकता था, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी, पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, यथास्थिति, प्ररूप 9 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या प्ररूप 11 में अनुज्ञप्ति तत्काल अनुदत्त करेगा ।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति अनुदत्त न की जाए वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी उसके लिए जो कारण हैं उन्हें निपिबद्ध करेगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का अवसान हो जाने पर उस स्थापन में, जिसकी बाबत प्रमाणपत्र दिया गया था स्थापन संविद् श्रमिक नियोजित नहीं करेगा ।

(6) उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए दी जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी :

यदि किसी दिन संविदा पर नियोजित किए जाने के लिए प्रस्थापित कर्मकारों की संख्या—

(क) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है . तो 10.00 रुपए

(ख) 50 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है . तो 20.00 रुपए

(ग) 200 से अधिक है . . . तो 30.00 रुपए

(7) उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए दी जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी :

यदि ठेकेदार द्वारा किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की संख्या—

(क) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है . तो 5.00 रुपए

(ख) 50 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है . तो 20.00 रुपए

(ग) 200 से अधिक है . . . तो 30.00 रुपए

(8) नियम 23 और नियम 24 के उपबंध क्रमशः उपनियम (4) और उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने पर लागू होंगे ।

अध्याय 4

अपील और प्रक्रिया

33. (1) (i) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपील अधिकारी को स्वयं पेश की जाएगी या उसको रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(ii) ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रमाणित प्रति और 10 रुपए की खजाना रसीद होगी ।

(2) ज्ञापन में उस आदेश से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील किए जाने के आधार संक्षिप्त रूप में और सुभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उपवर्णित किए जाएंगे ।

34. (1) जहां अपील का ज्ञापन नियम 33 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुरूप न हो वहां उसे नामंजूर किया जा सकेगा या अपील अधिकारी द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर संशोधन किए जाने के प्रयोजन से अपीलार्थी को वापस किया जा सकेगा ।

(2) जहां अपील अधिकारी ज्ञापन को उपनियम (1) के अधीन नामंजूर कर दे वहां वह ऐसी नामंजूरी के कारण को लिपिबद्ध करेगा और अपीलार्थी को आदेश संसूचित करेगा ।

(3) जहां अपील का ज्ञापन ठीक हो वहां अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस पर पेश किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा और अपील को इस प्रयोजन के लिए रखी गई अपील रजिस्टर कही जाने वाली पुस्तक में दर्ज करेगा ।

(4) (i) जब अपील ग्रहण कर ली जाए तब अपील अधिकारी अपील की सूचना, यथा स्थिति, उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को, भेजेगा, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, और वह रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा ।

(ii) अभिलेख की प्राप्ति पर, अपील अधिकारी अपीलार्थी को सूचना भेजेगा कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर अपील की सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो ।

35. यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी अपील को अपीलार्थी की उपस्थिति के व्यतिक्रम के कारण खारिज कर सकेगा ।

36. (i) जहां कोई अपील नियम 35 के अधीन खारिज कर दी गई हो वहां अपीलार्थी अपील के पुनर्ग्रहण के लिए अपील अधिकारी को आवेदन दे सकेगा और जहां वह साबित कर दिया जाए कि अपील की सुनवाई के समय उसे किसी पर्याप्त हेतुक द्वारा रोक लिया गया था, अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित कर देगा ।

(ii) ऐसा कोई आवेदन, जब तक कि अपील अधिकारी पर्याप्त कारणों से समय न बढ़ा दे, खारिजी की तारीख के 30 दिन के भीतर दिया जाएगा ।

37. (1) यदि अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित हो तो अपील, अधिकारी अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा समन किये गये किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई करेगा और उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, या तो पुष्टि करते हुए, या उलटते हुए या फेरफार करते हुए उस अपील पर निर्णय देगा ।

(2) अपील अधिकारी के निर्णय में, अवधारण के लिए प्रश्न, उन पर विनिश्चय और उन विनिश्चयों के लिए कारण कथित होंगे ।

(3) आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, भेज दी जाएगी ।

38. फीस का संदाय.—जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, इन नियमों के अधीन देय सभी फीसें स्थानीय खजाने में "XXXII—प्रकीर्ण—सामाजिक और विकासार्थ संगठन—श्रम और रोजगार—संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 (केन्द्रीय) के अधीन फीसें" लेखाशीर्ष में संदत्त की जाएंगी और रसीद अभिप्राप्त कर ली जाएगी, जिसे, यथास्थिति, आवेदन या अपील के ज्ञापन के साथ, प्रस्तुत किया जाएगा ।

39. प्रतियां.—रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अनुज्ञापन अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति, प्रत्येक आदेश के लिए दो रुपए फीस देकर, सम्बन्धित अधिकारी को आदेश की तारीख और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने वाला आवेदन देकर अभिप्राप्त की जा सकेगी ।

अध्याय 5

संविद श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य

40. (1) उन सुविधाओं की, जिनकी अधिनियम की धारा 18 और 19 के अधीन व्यवस्था की जानी अपेक्षित है अर्थात् स्वास्थ्यप्रद पेय जल के पर्याप्त प्रदाय की, पर्याप्त संख्या में शौचालयों और मूत्रालयों की, धुलाई सुविधाओं और प्राथमिक उपचार की सुविधाओं की ठेकेदार द्वारा विद्यमान स्थापनों की दशा में इन नियमों के प्रारंभ होने से सात दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में उनमें संविदा श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से सात दिन के भीतर व्यवस्था की जाएगी ।

(2) यदि उपनियम (1) में वर्णित किसी सुविधा की उसके लिए विहित अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा व्यवस्था न की जाए तो उसकी व्यवस्था उक्त उप-नियम में अधिकथित अवधि की समाप्ति के सात दिन के भीतर प्रधान नियोजक द्वारा की जाएगी ।

41. **विश्राम कक्ष.**—(i) हर स्थान में, जहां किसी ऐसे स्थापन के, जिसे अधिनियम लागू होता है तथा जिसमें संविद श्रमिकों का नियोजन तीन मास या उससे अधिक के लिए चलता रहना संभाव्य है, संकर्म के सम्बन्ध में संविद श्रमिको से रात्री में रुकने की अपेक्षा की जाए, ठेकेदार विश्राम कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास की विद्यमान स्थापनों की दशा में इन नियमों के प्रवृत्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर और नये स्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिन के भीतर व्यवस्था करेगा और उन्हें अनुरक्षित रखेगा ।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुख सुविधा की विहित अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा व्यवस्था न की जाए तो उसकी व्यवस्था उक्त उपनियम में अधिकथित अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्रधान नियोजक द्वारा की जाएगी ।

(3) स्त्री कर्मचारियों के लिए अलग कक्षों की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) प्रत्येक कक्ष में ताजी हवा के परिसंचरण द्वारा पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए प्रभावी और यथोचित व्यवस्था की जाएगी और उसमें यथोचित प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(5) विश्राम कक्ष या कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास ऐसी विमाओं के होंगे जिसमें विश्राम कक्ष का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 1.1 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की व्यवस्था हो ।

(6) विश्राम कक्ष या कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास इस प्रकार के सन्निर्मित होंगे कि वे गर्मी, हवा, वर्षा से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकें और उनका फर्श चिकना, सख्त और अभेद्य होगा ।

(7) विश्राम कक्ष या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास स्थापन से सुविधाजनक दूरी पर होंगे और उनमें स्वास्थ्य प्रद पेय जल का पर्याप्त प्रदाय होगा ।

42. कैंटीन.—(1) प्रत्येक स्थापन में, जिसे अधिनियम लागू होता है और जिसमें संविद् श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में कार्य का छः मास के लिए चलते रहना संभाव्य है तथा जिसमें एक सौ या उससे अधिक संविद् श्रमिकों को सामान्यतः नियोजित किया जाता है, ऐसे संविद् श्रमिकों के उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा पर्याप्त कैंटीन की, विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद श्रमिकों के [नियोजन के प्रारम्भ के 60 दिन के भीतर, व्यवस्था की जाएगी ।

(2) यदि अधिकथित समय के भीतर कैंटीन की व्यवस्था करने में ठेकेदार असफल रहता है तो उसकी व्यवस्था ठेकेदार को अनुज्ञप्त समय की समाप्ति के साठ दिन के भीतर प्रधान नियोजक द्वारा की जाएगी ।

(3) कैंटीन, यथास्थिति, ठेकेदार या प्रधान नियोजक द्वारा दक्षतापूर्ण रीति से अनुरक्षित रखी जाएगी ।

43. (1) कैंटीन में कम से कम एक भोजन-कक्ष, रसोई, भण्डार-कक्ष, पेन्ट्री और कर्मकारों तथा बर्तनों के लिए अलग-अलग धुलाई स्थान होंगे ।

(2) (i) कैंटीन हर समय, जब कोई व्यक्ति उस में आ सकता हो, पर्याप्त प्रकाश होगा ।

(ii) चिकनी और अभेद्य सामग्री से बना होगा और अन्दर की दीवारों पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा :

परन्तु रसोई की भीतरी दीवारों पर हर चार महीने में सफेदी की जाएगी ।

(3) (i) कैंटीन की प्रसीमाएं साफ और स्वच्छ बनाई रखी जाएंगी ।

(ii) गंदा पानी यथोचित रूप से ढकी नालियों से निकाला जाएगा और उसे इस प्रकार इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा उससे न्यूसेन्स हो जाए ।

(iii) कूड़े-करकट के संग्रहण और हटाए जाने के लिए यथोचित व्यवस्था की जाएगी ।

44. (1) भोजन-कक्ष में इतना स्थान होगा कि उसमें एक ही समय पर काम करने वाले [संविद् श्रमिकों में से कम से कम 30 प्रतिशत श्रमिक एक साथ समा सकें ।

(2) भोजन-कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल, सर्विस कांउन्टर और मेजों तथा कुर्सियों के सिवाय किसी फर्नीचर द्वारा घेरे गए क्षेत्र को अपवर्जित करके, इतना होगा कि उसमें उपनियम (1) में यथाविहित समाए जाने वाले प्रत्येक भोजनार्थी के लिए 1 वर्ग मीटर से कम स्थान न हो ।

(3) (i) भोजन-कक्ष और सर्विस कांउटर का एक भाग विभाजित कर दिया जाएगा और महिला कर्मकारों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित रखा जाएगा ।

(ii) महिलाओं के लिए धुलाई-स्थान अलग होंगे और एकांतता के लिए पर्दा लगा दिया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में यथाविहित संख्या में समाए जाने वाले भोजनार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में मेज, स्टूल, कुर्सियां या बेंच उपलब्ध होंगे ।

45. (1) (i) पर्याप्त बर्तन क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर और कैंटीन को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक अन्य उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(ii) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपस्कर को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद अवस्था में अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(2) (i) कैंटीन में सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए यथोचित साफ वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(ii) यदि सर्विस काउंटर की व्यवस्था की जाए तो उसका उपरिभाग चिकनी और अभेद्य सामग्री से बना हुआ होगा ।

(iii) बर्तनों और उपस्कर को साफ करने के लिए यथोचित सुविधाओं की, जिनमें पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी का प्रदाय भी सम्मिलित है, व्यवस्था की जाएगी ।

46. कैंटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें संविद् श्रमिकों की प्रसामान्य रातों के अनुरूप होंगी ।

47. कैंटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजों की कीमतें 'न लाभ, न हानि' के आधार पर होंगी और कैंटीन में सहजदृश्य रूप से संप्रदर्शित की जाएंगी ।

48. कैंटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजों की कीमतें निर्धारित करते समय निम्नलिखित मदों को व्यय के रूप में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भूमि और भवन का किराया ;

(ख) भवन और उपस्कर के, जिनकी कैंटीन में व्यवस्था की गई है, अवक्षय और अनुरक्षण का प्रभार ;

(ग) उपस्कर, जिसमें फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी और बर्तन सम्मिलित हैं, के क्रय, मरम्मत और प्रतिस्थापन की लागत ;

(घ) जल-प्रभार और प्रकाश तथा संवातन के लिए उपगत अन्य प्रभार ;

(ङ) फर्नीचर और उपस्कर, जिसकी कैंटीन में व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था और अनुरक्षण पर व्यय की गई रकमों पर ब्याज ।

49. कैंटीन को चलाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त लेखा-पुस्तकें और रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर निरीक्षक को पेश किए जाएंगे ।

50. कैंटीन से सम्बन्धित लेखे की संपरीक्षा रजिस्ट्रीकृत लेखापालों और संपरीक्षकों द्वारा हर बारह मास में एक बार की जाएगी :

परन्तु यदि मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का यह समाधान हो जाए कि कैंटीन के स्थल या अवस्थिति की दृष्टि से रजिस्ट्रीकृत लेखापाल और संपरीक्षक का नियुक्ति किया जाना साध्य नहीं है तो वह लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुमोदित कर सकेगा ।

51. शौचालय और मूत्रालय.—अधिनियम के विषय-क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक स्थापन में शौचालयों की व्यवस्था निम्नलिखित मापमान से की जाएगी अर्थात् —

(क) जहां स्त्रियां नियोजित की गई हों वहां प्रति 25 स्त्रियों के लिए कम से कम एक शौचालय होगा ;

(ख) जहां पुरुष नियोजित किए गए हों, वहां प्रति 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय होगा :

परन्तु जहां पुरुषों या स्त्रियों की संख्या 100 से अधिक हो वहां प्रथम 100 व्यक्तियों तक के लिए, यथास्थिति, प्रति 25 पुरुषों या स्त्रियों के लिए एक शौचालय और उसके पश्चात् प्रति 50 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय पर्याप्त होगा ।

52. प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा जिससे एकांतता रहे और उसमें उचित दरवाजा और चिटकनियां होंगी ।

53. (1) जहां स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकार के कर्मकार नियोजित किए गए हों वहां शौचालय और मूत्रालय के प्रत्येक ब्लाक के बाहर कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, यथास्थिति, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल स्त्रियों के लिए" का नोटिस संप्रदर्शित किया जाएगा ।

(2) नोटिस में, यथास्थिति, पुरुष या स्त्री की आकृति भी बनी होगी ।

54. एक समय पर नियोजित किए गए पचास तक पुरुष कर्मकारों के लिये और पचास तक स्त्री कर्मकारों के लिए कम से कम एक-एक मूत्रालय होगा :

परन्तु जहां, यथास्थिति, पुरुष या स्त्री कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक हो वहां प्रथम 500 व्यक्तियों तक प्रति पचास पुरुषों या स्त्रियों के लिए एक-एक मूत्रालय होगा और उसके पश्चात् प्रत्येक 100 या उसके भाग के लिए एक-एक मूत्रालय पर्याप्त होगा ।

55 (1) शौचालय और मूत्रालय सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे और सभी समय स्थापन के कर्मकारों की पहुंच के अन्दर होंगे ।

2(i) शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त प्रकाश होगा और उन्हें सभी समय साफ और स्वच्छ अवस्था में अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(ii) फ्लश मलवहन प्रणाली से सम्बद्ध शौचालयों तथा मूत्रालयों से भिन्न शौचालय और मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।

56. शौचालयों और मूत्रालयों में या उनके पास जल की व्यवस्था नल द्वारा या अन्यथा इस प्रकार की जाएगी कि उस तक सुविधाजनक रूप से पहुंचा जा सके ।

57. (1) धुलाई सुविधाएं.—अधिनियम के विषय-क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक स्थापन में, उसमें नियोजित संविद् श्रमिकों के उपयोग के लिए, पर्याप्त और यथोचित धुलाई सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(2) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के उपयोग के लिए अलग-अलग और पर्याप्त पर्दे की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) ऐसी सुविधाएं सुगमता से पहुंचेवे जा सकने वाली होंगी और उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद अवस्था में रखा जाएगा ।

58. प्राथमिक उपचार की सुविधाएं—अधिनियम के विषय-क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक स्थापन में सामान्यतः नियोजित 150 संविद् श्रमिकों या उसके भाग के लिए एक पेटिका से अन्यून के हिसाब से प्राथमिक उपचार पेटिकाओं की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा कि उन तक काम के सभी घंटों में तुरन्त पहुंचा जा सके ।

59. (1) प्राथमिक उपचार पेटिका के सफेद तल पर रेडक्रास लगाया जाएगा और उसमें निम्नलिखित उपस्कर होंगे, अर्थात् :—

क. उन स्थापनों के लिए जिनमें नियोजित संविद् श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक न हो—प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे :—

(i) 6 छोटी निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(ii) 3 मध्यम आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iii) 3 बड़े आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iv) 3 बड़ी निर्जीवाणुक बर्न ड्रेसिंग ।

(v) 1 (30 मि० ली०) की शीशी जिसमें 2 प्रतिशत आयोडीन का ऐल्कोहॉली विलयन हो ।

(vi) 1 (30 मि० ली०) की शीशी जिसमें सालवोलाटाइल जिसके लेबल पर खुराक और प्रयोग का ढंग उपदर्शित हो ।

(vii) 1 सर्प-दंश लान्सेट ।

(viii) 1 (30 ग्राम) पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की शीशी ।

(ix) एक कैंची ।

(x) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार पत्रक की एक प्रति ।

(xi) एक शीशी जिसमें एस्पीरीन की सौ टिकियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) हों ।

(xii) जले के लिए मरहम ।

(xiii) यथोचित शल्य-चिकित्सीय प्रतिरोधी विलयन की एक शीशी ।

ख. उन स्थानों में जिनमें संविद् श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक हो प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे :—

(I) 12 छोटी निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(II) 6 माध्यम आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(III) 6 बड़े आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(IV) 6 बड़े आकार की निर्जीवाणुक बर्न ड्रेसिंग ।

(V) 6 (15 ग्राम) पैकेट निर्जीवाणुक रूई ।

(VI) 1 (60 मि० लि०) शीशी जिसमें दो प्रतिशत आयोडीन का ऐल्कोहॉली विलयन हो ।

(VII) 1 (60 मि० ली०) शीशी जिसमें सालबोलाटाइल जिसके लेबल पर खुराक और प्रयोग का ढंग उपदर्शित हो ।

(VIII) 1 रोल आसंजक प्लास्टर ।

(IX) 1 सर्प-दंश लांसेट ।

(X) 1 (30 ग्राम) पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की शीशी ।

(XI) 1 कैंची ।

(XII) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार पत्रक की एक प्रति ।

(XIII) एक शीशी जिसमें एस्प्रीन की सौ टिकियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) हों।

(XIV) जले के लिए मरहम ।

(XV) यथोचित शल्य-चिकित्सीय प्रतिरोधी विलयन की एक शीशी ।

(2) जब कभी आवश्यक हो उपस्कर की तत्काल आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

60. प्राथमिक उपचार पेटिका में विहित अन्तर्वस्तु के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाएगा ।

61. प्राथमिक उपचार पेटिका एक उत्तरदायित्व पूर्ण ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाएगी जो स्थापन के कार्य के घंटों के दौरान सुगमता से उपलब्ध हो ।

62. प्राथमिक उपचार पेटिका का भारसाधक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसे स्थापनों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जहां 150 या उससे अधिक संख्या में संविद् श्रमिक नियोजित हों ।

अध्याय 6

मजदूरी

63. ठेकेदार मजदूरी की वे अवधियां नियत करेगा जिनकी बाबत मजदूरी देय होगी ।

64. कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी ।

65. किसी स्थापन में या किसी ठेकेदार द्वारा संविद श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी, जहां एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित किए गए हों, वहां मजदूरी की उस अवधि के, जिसकी बाबत मजदूरी देय हो, अन्तिम दिन के पश्चात् सातवें दिन के अवसान से पूर्व और अन्य दशाओं में दसवें दिन के अवसान से पूर्व दी जाएगी ।

66. जहां किसी कर्मकार के नियोजन को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से पर्यवसित कर दिया जाए, वहां उसके द्वारा अर्जित मजदूरी उस दिन के, जिसको उसका नियोजन पर्यवसित किया गया हो, दूसरे कार्य-दिवस के अवसान से पूर्व दे दी जाएगी ।

67. मजदूरी के सभी संदाय कार्य दिवस को, कार्य परिसर पर और कार्य-समय के दौरान पहले से अधिसूचित तारीख को किए जाएंगे और यदि काम मजदूरी की अवधि के अवसान से पूर्व पूरा हो जाए तो अंतिम संदाय अंतिम कार्य-दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा ।

68. प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी सीधे उसे या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को दी जाएगी ।

69. समस्त मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी या दोनों में दी जाएगी ।

70. मजदूरी , उन कटौतियों के सिवाय जो केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन अनुज्ञेय हों, किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना दी जाएगी ।

71. मजदूरी अवधि और मजदूरी का वितरण करने के स्थान पर और समय को दर्शित करने वाली एक सूचना कार्य-स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति ठेकेदार द्वारा प्रधान नियोजक को अभिस्वीकृति के अधीन भेजी जाएगी ।

72. प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी का वितरण किए जाने के स्थान और समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी का वितरण ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है ।

73. प्रधान नियोजक का प्राधिकृत प्रतिनिधि यथास्थिति मजदूरी के रजिस्टर या मजदूरी-एवं-मस्टर रोल में प्रविष्टियों के अन्त में अपने हस्ताक्षर के अधीन निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा :--

"प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ सं० .....में वर्णित सम्बन्धित कर्मकार को मेरी उपस्थिति में ----------को------ में दे दी गई है ।"

अध्याय 7

रजिस्टर और अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

74. ठेकेदारों का रजिस्टर.--प्रत्येक प्रधान नियोजक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत ठेकेदारों का एक रजिस्टर प्ररूप 12 में रखेगा ।

75. नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर.-- प्रत्येक ठेकेदार ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत, जहां वह संविद् श्रमिकों को नियोजित करे, एक रजिस्टर प्ररूप 13 में रखेगा ।

76. नियोजन-पत्र.--(i) प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को एक नियोजन-पत्र प्ररूप 14 में उस कर्मकार के नियोजन के तीन दिन के भीतर जारी करेगा ।

(ii) नियोजन-पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में होने वाले किसी परिवर्तन को उसमें प्रविष्ट किया जाएगा ।

77. **सेवा - प्रमाणपत्र**—किसी भी कारण से नियोजन के पर्यवसान पर ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं पर्यवसित कर दी गई हैं, प्ररुप 15 में एक सेवा-प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

78. **मस्टर रोल, मजदूरी-रजिस्टर, कटौती-रजिस्टर और अतिकालिक-रजिस्टर**—

(1) उन स्थापनों की बाबत जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या उसके अधीन बनाए गए नियमों से शासित होते हैं, निम्नलिखित रजिस्टर और अभिलेख, जिन्हें उन अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा नियोजक के रूप में रखे जाने की अपेक्षा है, इन नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख समझे जाएंगे :

(क) मस्टर रोल;

(ख) मजदूरी का रजिस्टर;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) अतिकालिक का रजिस्टर;

(ङ) जुर्मानों का रजिस्टर;

(च) अग्रिमों का रजिस्टर ।

(2) उपनियम (1) के अधीन न आने वाले स्थापनों की बाबत निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक ठेकेदार एक मस्टर रोल रजिस्टर और एक मजदूरी का रजिस्टर क्रमश : प्ररुप 16 और प्ररूप 17 में रखेगा :

परन्तु जहां मजदूरी की अवधि एक पक्ष या उससे कम हो वहां ठेकेदार द्वारा एक संयुक्त मस्टर रोल—एवं—मजदूरी का रजिस्टर प्ररुप 18 में रखा जाएगा ।

(ख) जहां मजदूरी की अवधि एक सप्ताह या उससे अधिक हो वहां ठेकेदार मजदूरी के वितरण से कम से कम एक दिन पूर्व कर्मकारों को प्ररुप 19 में मजदूरी पर्चियां जारी करेगा ।

(ग) **यथास्थिति , मजदूरी** के रजिस्टर या **मजदूरी**—एवं मस्टर रोल में प्रत्येक कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा-निशान लिया जाएगा और उसमें की प्रविष्टियों को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और नियम 73 द्वारा यथाअपेक्षित प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रुप से प्रमाणित किया जाएगा ।

(घ) **कटौतियों, जुर्मानों और अग्रिमों के रजिस्टर** :—नुकसान या हानि के लिए कटौतियों के रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर प्रत्येक ठेकेदार द्वारा क्रमश: प्ररुप 20, 21 और 22 में रखे जाएंगे ।

(ङ) **अतिकालिक का रजिस्टर** :—प्रत्येक ठेकेदार द्वारा घंटों की संख्या और अतिकालिक काम के लिए दी गई मजदूरी, यदि कोई हो, का अभिलेख करने के लिए प्ररूप 23 में अतिकालिक का रजिस्टर रखा जाएगा ।

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अन्य अधिनियम का उसके अधीन बनाए गए नियमों या किन्हीं अन्य विधियों या विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए या उन मामलों में जहां अच्छे प्रशासन के लिए यंत्र-कृत वेतन रोल प्रयोग में लाए जाते हैं, ठेकेदार दोहरे काम से बचने के लिए किसी संयुक्त या अनुकालिक प्ररूप का प्रयोग करना चाहता हो वहां इन नियमों के अधीन विहित किसी प्ररूप के बदले आनुकालिक उपयुक्त प्ररूप या प्ररूपों का प्रयोग मुख्य श्रम आयुक्त ('केन्द्रीय) के पूर्वानुमोदन से किया जा सकेगा ।

79. प्रत्येक ठेकेदार अधिनियम और नियमों की संक्षिप्ति अंग्रेजी और हिन्दी और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप में संप्रदर्शित करेगा ।

80. (1) अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाएगा और जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हो, उन्हें किसी कार्यालय या काम के स्थान की प्रसीमाओं के भीतर निकटतम सुविधाजनक भवन में या तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर रखा जाएगा ।

(2) ऐसे रजिस्टर अंग्रेजी और हिन्दी में सुवाच्य रूप में से रखे जाएंगे ।

(3) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप से परिरक्षित किए जाएंगे ।

(4) अधिनियम या नियमों के अधीन रखे गये सभी रजिस्टर, अभिलेख और सूचनाएं मांग किए जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पेश किए जाएंगे ।

(5) जहां किसी मजदूरी की अवधि के दौरान कोई कटौती या जुर्माना अधिरोपित न की गई हो या कोई अतिकालिक काम न किया गया हो, वहां क्रमशः प्ररूप 20, 21 और 22 में रखे गए सम्बन्धित रजिस्टरों में मजदूरी की अवधि के अन्त में रजिस्टर की बॉडी के आरपार 'कुछ नहीं' प्रविष्टि की जाएगी और प्रमित शब्दों में वह मजदूरी की अवधि भी उपदर्शित की जाएगी जिसके सम्बन्ध में वह 'कुछ नहीं' प्रविष्टि है ।

81. (1)(i) मजदूरी की दरें, काम के घंटे, मजदूरी की अवधियां, मजदूरी देने की तारीखें, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पते और असंदत्त मजदूरी के लिए जाने की तारीख दर्शित करने वाली सूचनाएं अंग्रेजी में और हिन्दी में और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्थापन और कार्य-स्थल के सहजदृश्य स्थानों पर, यथास्थिति, प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा संप्रदर्शित की जाएगी ।

(ii) सूचनाएं साफ और सुवाच्य दशा में सही रूप से रखी जायंगी ।

(2) सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब कभी कोई परिवर्तन हो तो वह उसे तत्काल संसूचित कर दिए जाएंगे ।

82. (1) प्रत्येक ठेकेदार अर्धवार्षिक विवरणी प्ररूप 24 में (दो प्रतियों में) इस प्रकार भेजेगा कि वह संबद्ध अनुज्ञापन अधिकारी के पास अर्धवर्ष की समाप्ति के 30 दिन अपश्चात् पहुंच जाए

टिप्पण : 5 इस नियम के प्रयोजन के लिए अर्धवर्ष से "प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 6 मास की अवधि" अभिप्रेत है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक प्रधान नियोजक प्रतिवर्ष एक विवरणी प्ररूप 25 में (दो प्रतियों में) इस प्रकार भेजेगा कि वह संबद्ध रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पास उस [वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में वह हो, अन्त के पश्चात् आने वाली 15 फरवरी के पश्चात् पहुंच जाए ।

83. (1) बोर्ड, समिति, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को लिखित आदेश द्वारा कोई सूचना या संविद् श्रमिकों के सम्बन्ध में आंकड़े किसी ठेकेदार या प्रधान नियोजक से किसी भी समय मांगने की शक्ति होगी ।

(2) वह व्यक्ति, जिससे उपनियम (1) के अधीन सूचना मांगी गई है, ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा ।

प्ररूप ।

[नियम 17(1) देखिए]

संविद् श्रमिक नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति
2. स्थापन का डाक पता
3. प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता
   (व्यष्टियों की दशा में पिता का नाम दें)
4. प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता
5. स्थापन में किये जा रहे काम की प्रकृति
6. ठेकेदारों और संविद श्रमिकों की विशिष्टियां :
   क. ठेकेदारों के नाम और पते
   ख. जिस काम में संविद् श्रमिकों को नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति
   ग. प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले संविद् श्रमिकों की अधिकतम संख्या
   घ. प्रत्येक ठेकेदार के अधीन संविद् श्रमिकों के नियोजन को पर्यवसित करने की प्राक्कलित तारीख

7. संलग्न खजाना रसोद की विशिष्टियां ——————
(खजाने का नाम, रकम और तारीख)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

प्रधान नियोजक
मुद्रा और स्टाम्प

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय,

आवेदन की प्राप्ति की
तारीख

प्ररूप 2

[नियम 18 (1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

तारीख ......

सं०

भारत सरकार

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित विशिष्टियों वाला रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र ———————————————————— को एतद्द्वारा अनुदत्त किया जाता है।

1. स्थापन में किए जा रहे काम की प्रकृति
2. ठेकेदारों के नाम और पते
3. जिस काम में संविद् श्रमिकों को नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति
4. प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी दिन नियोजित किये जाने वाले संविद् श्रमिकों की अधिकतम संख्या
5. संविद् श्रमिक के नियोजन से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

प्ररूप 3

[नियम 18 (3) देखिए]

स्थापनों का रजिस्टर

क्रम सं०	रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख	रजिस्ट्रीकृत स्थापन का नाम और पता	प्रधान नियोजक का नाम और उसका पता	स्थापन में किए जा रहे कारबार, व्यवसाय, उद्योग, सम्निर्माण या उपजीविका का प्रकार	सीधे नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6

ठेकेदार और संविद श्रमिकों की विशिष्टियां

ठेकेदार का नाम और पता	जिस काम में संविद श्रमिक नियोजित किये गए हैं या नियोजित किए जाने वाले हैं उसकी प्रकृति	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले संविद् श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संविद् श्रमिकों के नियोजन की संभाव्य अवधि	टिप्पणियां
7	8	9	10	11

प्ररूप 4

[नियम 21(1) देखिए]

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1. ठेकेदार का नाम और पता (जिसमें व्यष्टियों की दशा में, उसके पिता का नाम भी सम्मिलित हो)

2. जन्म की तारीख और आयु (व्यष्टियों की दशा में)

3. उस स्थापन की विशिष्टियां जहां संविद श्रमिक नियोजित किये जाने हैं:—

(क) स्थापन का नाम और पता:

(ख) स्थापन में किए जा रहे कारबार, व्यवसाय उद्योग, सन्निर्माण या उपजीविका का प्रकार :

(ग) अधिनियम के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख:

(घ) प्रधान नियोजक का नाम और पता:

4. संविद श्रमिकों की विशिष्टियां :—

(क) जिस काम में संविद श्रमिकों को स्थापन में नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति :

(ख) प्रस्थापित संविदा-कार्य की अवधि (प्रारम्भ करने और समाप्त करने की प्रस्थापित तारीख की विशिष्टियां दीजिए) :

(ग) कार्य-स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबन्धक का नाम और पता:

(घ) स्थापन में किसी तारीख को नियोजित के लिए प्रस्थापित संविद श्रमिकों की अधिकतम संख्या :

5. क्या ठेकेदार को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था। यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।

6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध किसी पूर्ववर्ती संविदा की बाबत अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने या निलम्बित करने या प्रतिभूति निक्षेपों का समपहरण करने का कोई आदेश दिया गया था। यदि हां, तो ऐसे आदेश की तारीख दीजिए।

7. क्या ठेकेदार ने गत पांच वर्षों में किसी अन्य स्थापन में काम किया है। यदि हां, तो प्रधान नियोजक स्थापनों और काम की प्रकृति का ब्यौरा दीजिए।

8. क्या प्ररूप 5 में प्रधान नियोजक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

9. अनुज्ञप्ति फीस की दी गई रकम—खजाना चालान की संख्या और तारीख

10. प्रतिभूति निक्षेप की रकम—खजाना चालान की संख्या और तारीख

घोषणा :—मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये ब्यौर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर (ठेकेदार)

स्थान———————

तारीख ———————————————

टिप्पण :—आवेदन के साथ समुचित रकम की खजाना रसीद और प्रधान नियोजक का प्ररूप 5 में प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूति निक्षेप के चालान के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[नियम 21 (2) देखिए]

प्रधान नियोजक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक को अपने स्थापन में ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है । मैं अपने स्थापन में आवेदक द्वारा संविद् श्रमिकों के नियोजन के बारे में संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 और संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के सभी उपबंधों से, जहां तक वे उपबन्ध मुझ पर लागू होते हैं, आबद्ध होने का वचन देता हूं ।

स्थान

तारीख

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

स्थापन का नाम और पता

प्ररूप 6

[नियम 25(1) देखिए]

भारत सरकार

अनुज्ञापन अधिकारी का कार्यालय

अनुज्ञप्ति सं० तारीख दी गई फीस ———रु०

अनुज्ञप्ति

एतद्द्वारा को संविद श्रमिक (विनिमयन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के अधीन अनुज्ञप्ति, उपबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी जाती है।

अनुज्ञप्ति ———————————— तक प्रवृत्त रहेगी।

तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

नवीकरण (नियम 29)

नवीकरण की तारीख	नवीकरण के लिए अवसान की तारीख	दी गई फीस
1		
2		
3		

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
तारीख

उपाबन्ध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :——

1. अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

2. स्थापन में संविद् श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन———————से अधिक नहीं होगी।

3. नियमों के यथा उपबंधित के सिवाय यथास्थिति, अनुज्ञप्ति देने के लिए या नवीकरण के लिए दी गई फीस अप्रतिदेय होगी।

4. ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में विहित दरों से जहां वे लागू होती हों कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत की गई हों वहां वे उन नियत दरों से कम नहीं होंगी।

5. उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का या उसके समरूप काम करते हैं जैसा कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किए गए कर्मकार करते हैं वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें अवकाश–दिन काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा उसी प्रकार के या उसके समरूप काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं : परन्तु काम के प्रकार की बाबत किसी असहमति के होने की दशा में उसका विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें अवकाश–दिन काम के घंटे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

7. प्रत्येक ऐसे स्थापन में जहां संविद् श्रमिकों के रूप में सामान्यतः 20 या अधिक स्त्रियां नियोजित की जाती हैं वहां उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए उचित विमाओं के 2 कमरों की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे कमरों में से एक को बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे को बच्चों के लिए शयन–कक्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा । ठेकेदार इस प्रयोजन के लिए खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खेल–खिलौनों और शयन–कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाइयों और बिस्तरों की व्यवस्था करेगी । शिशु कक्ष के सन्निरीक्षण और अनुरक्षण का स्तर वह होगा जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

8. यदि कर्मकारों की संख्या या काम की शर्तों में कोई परिवर्तन हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसे अनुज्ञापन अधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

प्रारूप 7

[नियम 29(2) देखिए]

अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए आवेदन

1. ठेकेदार का नाम और पता ।

2. अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख ।

3. पूर्वतन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख ।

4. क्या ठेकेदार की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहृत किया गया था ?

5. संलग्न खजाना रसीद की संख्या और तारीख ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है) :
खजाना रसीद की सं० और तारीख के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 8

[नियम 32(2) देखिये]

संविद श्रमिक नियोजित करने वाले स्थापनों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति

2. स्थापन का डाक पता

3. प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता
(व्यष्टियों की दशा में पिता का नाम दें)

4. प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता

5. स्थापन में किए जा रहे काम की प्रकृति

6. संविद श्रमिकों की विशिष्टियां :

(क) जिस काम में संविद श्रमिकों को नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति और अति-आवश्यकता के कारण ।

(ख) प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले संविद श्रमिकों की अधिकतम संख्या ।

(ग) संविद श्रमिकों के नियोजन को पर्यवसित करने की प्राक्कलित तारीख ।

7. संलग्न खजाना रसीद या क्रास पोस्टल मार्डर की विशिष्टियां . . .

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

प्रधान नियोजक

मुद्रा और स्टाम्प

खजाना रसीद या क्रास पोस्टल आर्डर के साथ
आवेदन की प्राप्ति का समय और तारीख

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

प्ररूप 9

[नियम 32(3) देखिये]

अवसान की तारीख

रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र

संख्या तारीख

भारत सरकार

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित विशिष्टियों वाला रजिस्ट्रीकरण का एक अस्थायी प्रमाणपत्र——————————————————————————————को एतद्द्वारा अनुदत्त किया जाता है जो——————————से——————————तक विधिमान्य होगा ।

1. स्थापन में किए जा रहे काम की प्रकृति
2. जिस काम में संविद श्रमिकों को नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति
3. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले संविद श्रमिकों की अधिकतम संख्या
4. संविद श्रमिकों के नियोजन से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के मुद्रा सहित
हस्ताक्षर

प्ररूप 10

[नियम 32 (2) देखिये]

अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1. ठेकेदार का नाम और पता (जिसमें व्यष्टियों की दशा में उसके पिता का नाम भी सम्मिलित हो)
2. जन्म की तारीख और आयु (व्यष्टियों की दशा में)
3. उस स्थापन की विशिष्टियां जहां संविद श्रमिक नियोजित किए जाने हैं :
   (क) स्थापन का नाम और पता :
   (ख) स्थापन में किए जा रहे कारबार व्यवसाय उद्योग सन्निर्माण या उपजीविका का प्रकार :
   (ग) प्रधान नियोजक का नाम और पता :

4. संविद श्रमिकों की विशिष्टियां :

(क) जिस काम में संविद श्रमिकों को स्थापन में नियोजित किया जाना है उसकी प्रकृति :

(ख) प्रस्थापित संविदाकार्य की अवधि (प्रारम्भ करने और समाप्त करने की प्रस्थापित तारीख की विशिष्टियां दीजिए)

(ग) कार्य स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबन्धक का नाम और पता

(घ) स्थापन में किसी दिन नियोजन के लिए प्रस्थापित संविद श्रमिकों की अधिकतम संख्या

5. क्या ठेकेदार को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया था ? यदि हां, तो ब्योरा दीजिए ।

6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध किसी पूर्ववर्ती संविदा की बाबत अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने या निलम्बित करने या प्रतिभूति निक्षेपों का समपहरण करने का कोई आदेश दिया गया था ? यदि हां तो ऐसे आदेश की तारीख दीजिए ।

7. क्या ठेकेदार ने गत पांच वर्षों में किसी अन्य स्थापन में काम किया है ? यदि हां, तो प्रधान नियोजक, स्थापनों और काम की प्रकृति का ब्योरा दीजिए ।

8. अनुज्ञप्ति फीस की दी गई रकम खजाना चालान या क्रास पोस्टल आर्डर की संख्या और तारीख ।

9. प्रतिभूति निक्षेप की रकम खजाना चालान या क्रास पोस्टल आर्डर की संख्या और तारीख

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर (ठेकेदार)

स्थान————————

तारीख————————

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूति निक्षेप के चालान के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 11

[नियम 32(3) देखिये]

भारत सरकार

अनुज्ञापन अधिकारी का कार्यालय———

अनुज्ञप्ति सं०———तारीख———दी गई फीस———रु०

अस्थायी अनुज्ञप्ति अवसान की तारीख———

एतद्द्वारा———को संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के अधीन अनुज्ञप्ति उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, अनुदत्त की जाती है ।

अनुज्ञप्ति——— ———तक प्रवृत्त रहेगी ।

तारीख———

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

उपाबन्ध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

1. अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी ।

2. स्थापन में संविद् श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन———से अधिक नहीं होगी

3. नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए दी गई फीस अप्रतिदेय होगी ।

4. ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में विहित दरों से, जहां वे लागू होती हों कम नहीं होंगी, और जहां दरें करार परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत की गई हों वहां वे उन नियत दरों से कम नहीं होंगी ।

5. उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का या उसके समरूप काम करते हैं जैसा कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किए गए कर्मकार करते हैं वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा उसी प्रकार के या उसके समरूप काम पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं: परन्तु काम के प्रकार की बाबत किसी असहमति के होने की दशा में उसका विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्ररूप 12

[नियम 74 देखिए]

ठेकेदारों का रजिस्टर

1. प्रधान नियोजक का नाम और पता.....

.....

2. स्थापन का नाम और पता.....

.....

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम और पता	संविदा पर के काम की प्रकृति	संविदा कार्य की अवस्थिति	संविदा की अवधि		ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम सं०
				से	तक	
1	2	3	4	5		6

प्ररूप 13

[नियम 75 देखिए]

ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता.....

काम की प्रकृति और अवस्थिति

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है...

.....

प्रधान नियोजक का नाम और पता.....

.....

क्रम सं०	कर्मकार का नाम और कुल नाम	आयु और लिंग	पिता/पति का नाम	नियोजन की प्रकृति/पदनाम	कर्मकार के घर का स्थायी पता (ग्राम और तहसील/तालुक और जिला)
1	2	3	4	5	6

स्थानीय पता	नियोजन के प्रारम्भ होने की तारीख	कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान	नियोजन के पर्यवसान की तारीख	पर्यवसान के कारण	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

प्ररूप 14

[नियम 76 देखिए]

नियोजन पत्र

ठेकेदार का नाम और पता.....
.....
काम की प्रकृति और काम की अवस्थिति.....
.....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है.....
.....
.....

प्रधान नियोजक का नाम और पता.....
.....

1. कर्मकार का नाम.....
2. नियोजित कर्मकार की रजिस्टर में क्रम संख्या.....
3. नियोजन की प्रकृति/पदनाम.....
4. मजदूरी की दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक की विशिष्टियों सहित).....
.....
5. मजदूरी की अवधि.....
6. नियोजन अवधि.....
7. टिप्पणियां .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप 15

[नियम 77 देखिए]

सेवा–प्रमाणपत्र

ठेकेदार का नाम और पता ..... उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके काम की प्रकृति और अवस्थिति ..... अधीन संविदा पर काम किया गया है .....
कर्मकार का नाम और पता ..... प्रधान नियोजक का नाम और पता .....
आयु या जन्म की तारीख .....
पहिचान चिन्ह .....
पिता/पति का नाम .....

क्रम सं०	कुल अवधि जिसके लिए नियोजित किया गया		किए गए काम की प्रकृति	मजदूरी की दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक की विशिष्टियों सहित)	टिप्पणियां
	से	तक			
1	2	3	4	5	6

प्ररूप 16

[नियम 78 (2) (क) देखिए]

मस्टर रोल

ठेकेदार का नाम और पता ——— उस स्थान का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन काम की प्रकृति और अवस्थिति ..... संविदा पर काम किया जा रहा है .....
प्रधान नियोजक का नाम और पता .....
..... मास के लिए

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	तारीख					टिप्पणियां
				1	2	3	4	5	

प्ररूप 17

[नियम 78 (2) (क) देखिए]

मजदूरी का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता..... उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके
काम की प्रकृति और अवस्थिति..... अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है.....
प्रधान नियोजक का नाम और पता.....
मजदूर की अवधि : मासिक

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम सं०	पदनाम/ किए गए काम की प्रकृति	काम किए गए दिनों की सं०	किए गए काम के एकक	मजदूरी की 'दैनिक दर' मात्रानुपाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम		
							आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	अति-कालि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अन्य नकद संदाय (संदायों की प्रकृति उपदर्शित की जाए)	कुल जोड़	कटौतियां यदि कोई हो (प्रकृति उपदर्शित कीजिए)	संदत्त शुद्ध रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर
11	12	13	14	15	16

प्ररुप 18

[नियम 78 (2) (क) देखिए]

मजदूरी–एवं–मस्ट रोल के रजिस्टर का प्ररुप

ठेकेधार का नाम और पता..... उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन काम की प्रकृति और अवस्थिति..... संविदा पर काम किया जा रहा है.....
प्रधान नियोजक का नाम और पता.....
.....
मजदूरी की अवधि : साप्ताहिक/पाक्षिक.....
से.....तक.....

क्रम सं०	कर्मकारों के रजस्टिर में क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ काम की प्रकृति	दैनिक हाजिरी/ किए गए एकक 12..15	कुल हाजिरी/ किए गए काम के एकक	मजदूरी की दैनिक दर/ मात्रा-नुपाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम		
							आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	प्रतिका-लिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अन्य नकद संदाय (संदायों की प्रकृति उपदर्शित की जाए)	कुल जोड़	कटौतियां/ यदि कोई हो / (प्रकृति उप-दर्शित की जिए)	संदत्त शुद्ध रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर
11	12	13	14	15	16

प्ररूप 19

[नियम 78(2) (ख) देखिए]

मजदूरी-पर्ची

ठेकेदार का नाम और पता———— कर्मकार का नाम और उसके पिता/ पति का
काम की प्रकृति और अवस्थिति———— नाम ———— ————
————को समाप्त होने वाले
सप्ताह/पक्ष/मास के लिए

1. काम किए गए दिनों की सं०————
2. मात्रानुपाति दर वाले कर्मकारों की दशा में किए गए एककों की संख्या————
3. दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर——
4. अतिकालिक मजदूरी की रकम————
5. सकल देय मजदूरी————
6. कटौतियां, यदि कोई हों————
7. संदत्त मजदूरी की शुद्ध रकम————

ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर

प्ररूप 20

नियम 78(2) (घ) देखिए

नुकसान या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता———— उस स्थान का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————

काम की प्रकृति और अवस्थिति————

प्रधान नियोजक का नाम और पता————

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/ नियोजन की प्रकृति	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	क्या कर्मकार ने कटौती के विरुद्ध कारण बताया था
1	2	3	4	5	6	7

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था।	अधिरोपित कटौती की रकम	किस्तों की संख्या	वसूली की तारीख		टिप्पणियां
			प्रथक किस्त	अन्तिम किस्त	
8	9	10	11	12	13

प्ररूप 21

नियम 78(2)(घ) देखिए

ठेके दार का नाम और पता———— उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————

काम की प्रकृति और अवस्थिति ————

प्रधान नियोजक का नाम और पता————

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/नियोजन की प्रकृति	कार्य/लोप जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया	अपराध की तारीख
1	2	3	4	5	6

क्या कर्मकार ने कटौती के विरुद्ध कारण बताया था	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था	मजदूरी की अवधियां और देय मजदूरी	अधिरोपित जुर्माने की रकम	वह तारीख जिसको जुर्माना वसूल किया गया	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

प्ररूप 22

नियम 78(2)(घ) देखिए

अग्रिमों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता———— उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————

काम की प्रकृति और उसकी अवस्थिति ———— प्रधान नियोजक का नाम और पता————

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन की प्रकृति/पदनाम	मजदूरी की अवधि और देय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम	वे प्रयोजन जिसके/जिनके लिए अग्रिम दिया गया
1	2	3	4	5	6	7

उन किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रति संदाय किया जाना है।	प्रतिसंदत्त प्रत्येक किस्त की तारीख और रकम	वह तारीख जिसको अन्तिम किस्त का संदाय किया गया।	टिप्पणियां
8	9	10	11

प्ररूप 23

नियम 78(2)(ङ) देखिए

अतिकालिक का रजिस्टर

ठेकदार का नाम और पता———— उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————

काम की प्रकृति और अवस्थिति ————

प्रधान नियोजक का नाम और पता————

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम/नियोजन की प्रकृति	वे तारीखें जिनको अतिकालिक काम किया गया था
1	2	3	4	5	6

किया गया कुल अतिकालिक या मात्रानुपाती की दशा में उत्पादन।	मजदूरी की प्रसामान्य दर	मजदूरी की अतिकालिक दर	अतिकालिक उपार्जन	वह तारीख जिसको अतिकालिक मजदूरी का संदाय किया गया	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

प्ररूप 24

नियम 82 (1) देखिए

ठेकेदार द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी को भेजी जाने वाली विवरणी—

.....को समाप्त होने वाला अर्धवर्ष

1. ठेकेदार का नाम और पता
2. स्थापन का नाम और पता
3. प्रधान नियोजक का नाम और पता
4. संविदा की अवधि ..... से ..... तक
5. अर्धवर्ष के दौरान उन दिनों की संख्या जिनको—
   (क) प्रधान नियोजक के स्थापन में काम किया गया था
   (ख) ठेकेदार के स्थापन में काम किया गया था

6. अर्धवर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित संविद् श्रमिकों की अधिकमत संख्या :—

पुरुष	स्त्रियां	बच्चे	कुल जोड़
.....	.....	.....	.....

7. (i) प्रतिदिन काम के घंटे और विस्तृति .....
   (ii) (क) क्या साप्ताहिक अवकाश दिन रखा जाता है और किस दिन रखा जाता है .....
   (ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए संदाय किया गया था .....
   (iii) अतिकालिक काम के श्रम घंटों की संख्या .....

8. निम्नलिखित के द्वारा किए गए श्रम दिनों की संख्या .....

पुरुष	स्त्रियां	बच्चे	कुल जोड़
.....	.....	.....	.....

9. संदत्त मजदूरी की रकम

पुरुष	स्त्रियां	बच्चे	कुल जोड़
.....	.....	.....	.....

10. मजदूरी से कटौतियों की रकम, यदि कोई हो :—

पुरुष	स्त्रियां	बच्चे	कुल जोड़
.....	.....	.....	.....

11. क्या निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है :—

(i) कैंटीन

(ii) विश्राम-कक्ष

(iii) पेयजल

(iv) शिशु-कक्ष

(v) प्राथमिक उपचार

(यदि उत्तर हां है तो व्यवस्थित स्तरों को संक्षेप में कथित करें)

स्थान .....

तारीख .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप 25

नियम 82 (2) देखिए

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रधान नियोजन की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर ..... को समाप्त होने वाला वर्ष

(1) प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता

(2) स्थापन का नाम :

(क) जिला

(ख) डाक का पता

(ग) संक्रिया / उद्योग / किए जा रहे कार्य की प्रकृति

(3) प्रबन्धक का या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तर-दायी व्यक्ति का पूरा नाम ।

(4) उन ठेकेदारों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान स्थापन में कार्य किया (उपाबन्ध में ब्यौरा दीजिए) ।

(5) उस काम / संक्रिया की प्रकृति जिस पर संविद् श्रमिकों को नियोजित किया गया था ।

(6) वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको संविद् श्रमिक नियोजित किये गये थे ।

(7) वर्ष के दौरान संविद् श्रमिकों द्वारा काम किए गए श्रम-दिनों की कुल संख्या ।

(8) वर्ष के दौरान किसी भी दिन सीधे नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।

(9) वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको सीधे नियोजित श्रमिक नियोजित किये गये थे ।

(10) सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा काम किए गए श्रम दिनों की कुल संख्या ।

(11) स्थापन के प्रबन्धतन्त्र, उसकी अवस्थिति या रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं अन्य विशिष्टियों में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो, तारीखें उपदर्शित करते हुए बताइए ।

स्थान..... प्रधान नियोजक

तारीख..... ...

प्रारूप 25 का उपाबन्ध

ठेकेदार का नाम और पता	संविदा की अवधि .....से....तक	काम की प्रकृति	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या	काम किए गए दिनों की संख्या	काम किए गए श्रम-दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

[सं० एम०18011 (3)/71-एल डब्ल्यू –I / कांट / I]

के० डी० हजेला, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1st February 1971

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 4(23)/69-Fund Bank II, dated 15th July, 1969 relating to the execution and authentication on behalf of the President of documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with the implementation of the Development Credit Agreement No. 153-IN (Third Telecommunications Project) entered into between the Government of India and the International Development Association on the 18th June, 1969, namely:—

In the said notification, after item 3, the following shall be added as item 4, namely:—

"4. Chief Accounting Officer, High Commission of India, London."

[No. F. 4(23)/70-FB.II.]

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1971

सा० का० नि० 242.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा 18 जून, 1969 को भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच किए गये विकास ऋण करार संख्या 153-आई० एन० (तीसरी दूर-संचार प्रायोजना) के क्रियान्वय के सम्बन्ध में संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति की ओर से आवश्यक दस्तावेजों के सम्पादन और अधिप्रमाणन से सम्बद्ध भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की 15 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (23)/-69—फण्ड बैंक II में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद संख्या 3 के बाद मद 4 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायगा, अर्थात् :—

"4. लन्दन स्थित भारतीय दूतावास के मुख्य लेखा अधिकारी ।"

[सं० एफ० 4(23)]70-एफ०बी०II]

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 4(23)/69-Fund Bank II, dated the 15th July, 1969, relating to the execution and authentication on behalf of the President of documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with the implementation of the Loan Agreement No. 615 in Third Telecommunications Project) entered

into between the Government of India and the International Bank for Reconstruction and Development on the 18th June, 1969, namely:—

In the said Notification, after item 3, the following shall be added as item 4, namely:—

"4. Chief Accounting Officer, High Commission of India, London."

[No. F. 4(23)/70-FB.II.]

By order and in the name of the President.

G. V. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 243.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा 18 जून, 1969 को भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच किये गये ऋण करार संख्या 615 आई० एन० (तीसरी दूर-संचार प्रायोजना) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति की ओर से आवश्यक दस्तावेजों के सम्बन्ध और अधिप्रमाणन से सम्बद्ध भारत सरकार वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की 15 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या एफ 4(23)/69–फण्ड बैंक II में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद संख्या 3 के बाद मद 4 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायगा, अर्थात् :—

"4. लन्दन स्थित भारतीय दूतावास के मुख्य लेखा अधिकारी"

[संख्या एफ 4(23)/70–एफ बी०II]

राष्ट्रपति के नाम तथा उनके आदेश से

जी० वी० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव ।

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 3rd February 1971

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) and of all other powers hereunto enabling the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Post Office Savings Banks (Amendment) Rules, 1971.

2. In the Post Office Savings Banks Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"4A. *Place of deposit.*—(1) Every deposit shall be made only at the Head, Sub or the Branch Savings Bank at which the account of a depositor stands.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a depositor, whose account stands at a Head Savings Bank, may make a deposit at any of the Sub Savings Banks under the Head Savings Bank and a depositor whose account stands at a Sub Savings Bank, may make a deposit at the Head Savings Bank or at any of the Sub Savings

Banks under the Head Savings Bank and a depositor at a Branch Savings Bank may make a deposit at the Sub Savings Bank or at the Head Savings Bank to which it is subordinate.

(3) A deposit referred to in Sub Rule (2) may be made in such of the Savings Banks referred to in that sub-rule as may be authorised by the Director General in this behalf and subject to such conditions as may be prescribed by him from time to time."

3. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A. *Withdrawal of moneys from Head Savings Bank or Sub Savings Bank.*—A depositor whose account stands open at a Branch Savings Bank may withdraw money from the Head or Sub Savings Bank to which it is subordinate:

Provided that where a depositor withdraws money from such Head or Sub Savings Bank, the Head or Sub Savings Bank, as the case may be, shall take into account only the amount which is actually credited to the account of the depositor in that Savings Bank and shall not be held responsible for refusing payment in case the amount standing in the depositor's account therein is not sufficient to cover the amount intended to be withdrawn."

[No. F. 7(7)-NS/70.]

LAKSHMI NARAIN, Dy. Secy.

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1971

सा० का० नि० 244.—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4-क निक्षेप का स्थान:—(1) प्रत्येक निक्षेप केवल ऐसे मुख्य, उप या शाखा बचत बैंक में किया जाएगा जिसमें निक्षेपकर्ता का खाता है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निक्षेपकर्ता, जिसका खाता मुख्य बचत बैंक में है, मुख्य बचत बैंक के अधीन किसी भी उप-बचत बैंक में निक्षेप कर सकेगा; और वह निक्षेपकर्ता जिसका खाता उप-बचत बैंक में है, मुख्य बचत बैंक में या मुख्य बचत बैंक के अधीन किसी भी उप-बचत बैंक में निक्षेप कर सकेगा, और शाखा बचत बैंक का कोई निक्षेपकर्ता उप-बचत बैंक में या उस मुख्य बचत बैंक में जिसके अधीनस्थ वह है, निक्षेप कर सकेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट निक्षेप, उसी उप नियम में निर्दिष्ट ऐसे बचत बैंकों में जैसे महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी उसके द्वारा समय समय पर विहित की जाए, किया जा सकेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क—मुख्य बचत बैंकों या उप बचत बैंकों से रुपया निकालना.— कोई निक्षेपकर्ता जिसका खाता किसी शाखा बचत बैंक में खुला हुआ है उस मुख्य बचत बैंक या उप बचत बैंक से रुपया निकाल सकेगा जिसके वह (शाखा बैंक) अधीनस्थ है:

परन्तु जहां कोई निक्षेपकर्ता ऐसे मुख्य या उप बचत बैंक से रुपया निकालता है वहां, यथास्थिति वह मुख्य या उप बचत बैंक केवल उसी रकम को हिसाब में लेगा जो कि उस बचत बैंक में निक्षेपकर्ता के खाते में वस्तुतः जमा है और उस दशा में उसे संदाय करने से इन्कार करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि उस बैंक में निक्षेपकर्ता के खाते में की रकम निकलवा के लिए आशयित रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

[सं० फा० 7 (7)—एन०एस/70]

लक्ष्मी नारायण, उप सचिव।

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 4th February 1971

G.S.R. 245.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to the persons serving in the Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Revised Leave Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Revised Leave (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (2) of rule 7 of the Revised Leave Rules, 1933, for the words, brackets and figures "notice under clause (k) of Rule 56 of the Fundamental Rules or to whom notice or pay and allowances in lieu has been given under clause (j) of that Rule", the following shall be substituted, namely:—

"notice under clause (k) of Rule 56 of the Fundamental Rules or under sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the rules relating to liberalisation of pension contained in the Ministry of Finance Office Memorandum No. F. 3(1)-Est.(Spl.)/47, dated the 17th April, 1950, or to whom notice or pay and allowances in lieu has been given under clause (j) of Rule 56 of the Fundamental Rules or under the said sub-paragraph (2) of paragraph 2".

[No. F. 16(4)-E.IV(A)/70-II.]

G.S.R. 246.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules:—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Fourth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the second proviso to clause (a) of Rule 86 of the Fundamental Rules, for the words, brackets, letters and figures "notice under clause (k) of Rule 56, or to whom notice or pay and allowances in lieu has been given under clause (j) of that Rule", the following shall be substituted, namely:—

"notice under clause (k) of Rule 56 or under sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the rules relating to liberalisation of pension contained in the Ministry of Finance Office Memorandum No. F. 3(1)-Est.(Spl.)/47, dated the 17th April, 1950, or to whom notice or pay and allowances in lieu has been given under clause (j) of Rule 56 or under the said sub-paragraph (2) of paragraph 2".

[No. F. 16(4)-E.IV(A)/70-I.]

V. K. PANDIT, Under Secy.

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 4th February 1971

G.S.R. 247.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Library Attendant, Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/the post.

SCHE

Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Library Attendant	One	General Central Service, Class IV (Non-Gazetted)	Rs 80—1—85—2—95—EB—3—110	Non-ection post	Below 25 years	*Essential* : Pass in the 8th Standard. *Desirable* : Experience as Library Attendant for 2 years.

DULE

(*Library Attendant*) *Recruitment Rules*— 1971

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No.	Two Years	By promotion failing which by direct recruitment	*By promotion:* Of officers in the grade of Daftries who have passed 8th Standard and have rendered at least 3 year's continuous Service in that grade and have experience in maintaining records and correction work.	Class IV D.P.C	Not applicable.

[No. A.12018/2/70-Adm.]

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

सरकारी उद्यम कार्यालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1971

सा०का०नि०247.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती के तरीके को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाये हैं; अर्थात् ;

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय; सरकारी उद्यम कार्यालय, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियमावली, 1971 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति.—ये नियम इस अधिसूचना से अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट किया गया है।

4. भर्ती का तरीका, आयु सीमा अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसी कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट की गई हैं।

बशर्ते कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के बारे में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में छूट दी जा सकेगी।

5. अनर्हताएं —कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन-साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवन-साथी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और शादी के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की शादी को अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति.—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों में किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों / पदों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा ईष्टकर है, वहां उसके लिए वह कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट दे सकती है ।

अनु

वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय (पुस्तकालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सलैक्सन (प्रवरण) पद अथवा सलैक्सन भिन्न पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकालय परिचर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV (अराजपत्रित)	80–1–85–2–95–द० रो०–3–110 रुपये	सलेक्शन भिन्न पद	25 वर्ष से कम	अनिवार्य आठवीं कक्षा पास वांछनीय पुस्तकालय परिचर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

सूची

परिचर) भर्ती नियमावली, 1971

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में उन संवर्गों का उल्लेख जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और ऐसा सम्भव न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा दफ्तरी ग्रेड के वे कर्मचारी जिन्होंने आठवीं कक्षा पास कर ली हो और उक्त ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा कर ली हो और जिनको अभिलेखों के अनुरक्षण तथा शुद्धियां लगाने का अनुभव हो ।	चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

[सं० ए 12018/2/70-ऐडमिनिस्ट्रेशन]

श्याम सु० शर्मा, उप-सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 20th February 1971

G.S.R. 248.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 13th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 121 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"121 (a) Domestic Refrigerators	26.8 per cent of F.O.B. value of exports.
(b) Component parts of domestic refrigerators.	11.3 per cent of FOB value of exports."

[No. 13/601/42/5/70-DBK.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1971

सा० का० नि०—248.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क-निर्यात वापसी (साधारण) 13वां— नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"121 (क) घरेलू रेफ्रिजरेटर	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 26.8%
(ख) घरेलू रेफ्रिजेटर के घटक पुर्जे	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 11.3%

(सं० 13/601/42/5/70—डी बी के)

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central

Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General), 14th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 83 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"83. Steel wire ropes all sorts, and steel wire ripe nets, with or without fibre core,—	
(a) Ungalvanised	Rs. 131.25 per tonne of ungalvanised steel content, plus Rs. 214 per tonne of sisal fibre content, if any plus Rs. 573 per tonne of Manila fibre content, if any, plus Rs. 385 per tonne of jute fibre rope content.
(b) Galvanised.	Rs. 157 per tonne of galvanised steel content, plus Rs. 214 per tonne of sisal fibre content, if any, plus Rs. 573 per tonne of Manila fibre content, if any, plus Rs. 385 per tonne of jute fibre rope content."

[No. 14/F. No. 600/21/70-DBK.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

सा० का० नि० 249.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) चौदहवां संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"83 इस्पात तार रस्से, सभी प्रकार के, और इस्पात तार रस्सी जाल, तंतु कोड के सहित या बिना,—	
(क) अजस्तेदार:—	अजस्तेदार इस्पात अन्तर्वस्तु का 131.25/— रु० प्रतिटन तथा सीसल तंतु अन्तर्वस्तु का, यदि कोई हो, 214/—रु० प्रतिटन तथा मनीला तंतु अन्तर्वस्तु का, यदि कोई हो, 573/— रु० प्रतिटन तथा जूट तंतु रस्सा अन्तर्वस्तु का 385/— रु० प्रति टन ।

(ख) जस्तेदार:— जस्तेदार इस्पात अन्तर्वस्तु का 157/– रु० प्रति टन तथा सीसल तंतु अन्तर्वस्तु का, यदि कोई हो, 214/– रु० प्रतिटन तथा मनीला तंतु अन्तर्वस्तु का, यदि कोई हो, 573/– रु० प्रति टन तथा जूट तंतु रस्सा अन्तर्वस्तु का 358/– रु० प्रति टन ।"

[सं० 14/फा० सं० 600/21/70–डी बी के]

वि० आर० सोनालकर, उप सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 11th February 1971

G.S.R. 250.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of S.A.S. Accountant in the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (S.A.S. Accountant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

THE SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of S.A.S. Accountant in the Ministry of Foreign Trade

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
S.A.S. Accountant	15	General Central Service Class II (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 270—15—435—EB—20—575.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.
6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13
Not applicable.	By transfer on deputation.	*Transfer on deputation.* S.A.S. Accountant failing which, S.A.S. passed clerks from any of the organised Accounts Deptts.e.g.Indian Audit & Accounts Deptt., Indian Defence Accounts Deptt., Indian Railways Accounts Deptt., Posts & Telegraphs Accounts and Finance Department etc. (Period of deputation ordinary not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958.

[No. F. 12018/6/70-E II] Under Secy.

P. M. BANDOPADHYAYA

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1971

जी०एस०आर० 250 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेशी व्यापार मंत्रालय में वरिष्ठ लेखा-सेवा लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1)—ये नियम विदेशी व्यापार मंत्रालय (व० ले० से० लेखापाल) भर्ती नियम 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद की भर्ती के लिए लागू होंगे

3. **पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट होगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित शर्तें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट होंगी।

5. **निरर्हताएं** .—वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी /पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसकी एक पत्नी/पति जीवित रहते हुए उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय है और इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इसके कारण लिखकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

विदेशी व्यापार मंत्रालय में व० ले० से० के पद पर भर्ती के नियम

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतन-मान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद
1	2	3	4	5
व०ले०से० लेखापाल	15	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 (अराजपत्रित अनुसचिवीय)	रु० 270–15–435 द०रो०:–20–575	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी ।
6	7	8
लागू नही होगा	लागू नहीं होता	लागू नही होता

परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/ क्या भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण:** व०ले० से० लेखापाल जिनके न हो सकने पर किसी भी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, डाक तथा तार लेखा तथा वित्त विभाग आदि से व० ले० से० उत्तीर्ण लिपिक। (प्रतिनियुक्ति की कालावधि मामूली तौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित।

[सं० ए० 12018/8/6/70/ई० 2]

बी० एम० बन्द्योपाध्याय, अवर सचिव।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 2nd February 1971

G.S.R. 251.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Flagged Rules, 1969, namely:—

1 (i) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Amendment) Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 For sub-rule (1) of rule 12A of the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in rule 12, recruitment to Grade II of the Service may also be made from amongst persons holding posts of Hindi Stenographers in any Ministry or Office specified in column (2) or column (3) of the First Schedule, in scales of pay the minimum and maximum of which are not less than Rs. 210 and Rs. 530 respectively, from a date earlier than 23rd March, 1968, and who are declared qualified for inclusion in the Select List for Grade II of the Service on the results of the qualifying examinations held for this purpose by the Commission"

[No. 16/7/70-CS.II.]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 251—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 12—क के उप-नियम (1) की जगह निम्नलिखित उप-नियम होगा, अर्थात :—

"(1) नियम 12 में दी गई किसी बात के बावजूद इस सेवा के ग्रेड—2 की भर्ती, पहली अनुसूची के कालम 2 या 3 में विहित किसी मंत्रालय या कार्यालय के ऐसे पद-धारियों में से भी की जायेगी जिसका 23 मार्च, 1968 के पूर्व न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन मान क्रमशः 210 रुपये तथा 530 रुपये से कम न हो तथा जो इस प्रयोजन के लिए आयोगों द्वारा ली गई अर्हक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर इस सेवा की ग्रेड 2 के लिए प्रवरण सूची में शामिल करने के लिए योग्य घोषित कर दिए गए हैं।"

[संख्या 16/7/70-के०से-2]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 8th January 1971

G.S.R. 252.—Shri Q. M. Ahmad who was appointed as Public Trustee *vide* the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs Notification No. GSR 863, dated the 28th May, 1970 relinquished charge of that post on the afternoon of 14th December, 1970.

[No. PFG(261)-CLA/70.]

V. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 252.—श्री क्यू० एम० अहमद जिन्हें, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 863, दिनांक 28 मई, 1970 के अनुसार सरकारी न्यासों के पद पर नियुक्त किया गया था, ने 14 दिसम्बर, 1970 अपराह्न से, उक्त पद का कार्य भार त्याग दिया ।

[सं० पी० एफ० जी० (261)—सी० एल० ए०/70]

बी० के० वेन्कटारामन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971